खण्ड-375, अंक-2
शुक्रवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(21 फरवरी, 1986 ई0)

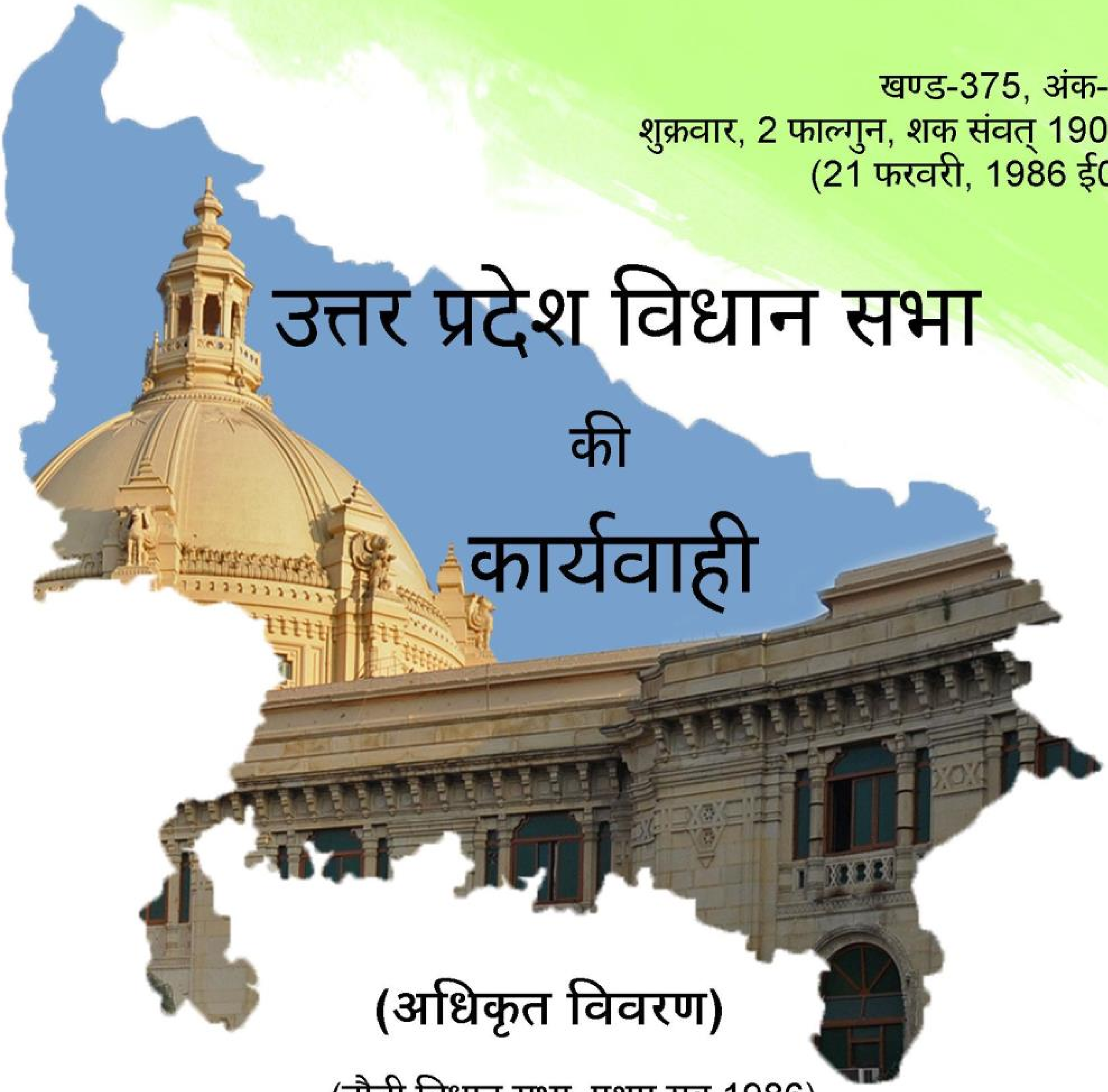

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1986)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मोती राम, श्री	नैनीताल
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी		
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
कृष्ण कुमार शर्मा,	गाजियाबाद	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	रामनरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	विनोद कुमार, श्री	पीलीभीत
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
धनराज यादव, श्री	बस्ती	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर	सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर	हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़	हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट:—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 निसार अहमद अंसारी, लघु उद्योग एवं सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री, श्री हथकरघा राज्य मंत्री भी अनुपस्थित थे।

विधान सभा सचिवालय

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 1986

विधान सभा सदस्य डा0 रजनी कान्त दत्त की वाराणसी में पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में भेजे गये तार को पढ़े जाने का प्रयास

(प्रवेश करते ही)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने विवेक से सारी कार्यवाही स्थगित करके, जो कल कार्यवाही चल रही थी, वहीं से इसे प्रारम्भ किया जाय।

मान्यवर, मैं आपके समक्ष, जो दत्ता साहब ने टेलीग्राम दिया था, जो आपको भी दिया था, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया था, पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

वह इस प्रकार है "भूखे बच्चों को दूध बंटवाने के लिये जब विश्वनाथ गली के सामने खड़े हुए चौक थाने के पोस्टेड सिपाहियों को यह बताते हुए कि मैं क्षेत्रीय विधायक हूं और खुद खड़े होकर दूध बटवाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री बद्री सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह तो प्रश्नकाल है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जो कुछ उनको कहना था, वे कल यहां कह चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

[x x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें। माननीय नेता विरोधी दल जो कुछ कह रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप न लिखाइये, मैं इनको सुना रहा हूं। (नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव घोर व्यवधान के मध्य पढ़ते रहे)

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल मैंने आपसे अनुरोध किया कि कल जो कुछ उन्हें कहना था, वे कह चुके हैं। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इन्हें इसकी इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जो कुछ कह रहे हैं, नहीं लिखा जायेगा।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रश्न काल जनहित से जुड़ा है। नेता विरोधी दल जनता के हितों का हनन कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल आप कृपया अपना

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्थान ग्रहण करें। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं। कोई बात नहीं लिखी जायेगी।

(व्यवधान के बीच नेता विरोधी दल कुछ पढ़ते रहे)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें। माननीय नेता विरोधी दल अपना स्थान कृपया ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप मेरा केवल एक निवेदन सुन लें।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुलाये जाने पर किन्तु नेता विरोधी दल के पढ़ते रहने पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने स्थान पर बैठ गये)

(घोर व्यवधान)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप इन्हें बैठायें। प्रश्नकाल प्रारम्भ करें।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह के बोलते रहने पर।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जो कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा। नेता विरोधी दल को मैं प्रश्नों के बाद सुनूंगा।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह के पुनः खड़े रहने पर।)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। नेता विरोधी दल जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव कुछ बोलते ही रहे।)

मैं आपको प्रश्नों के समय के बाद बोलने की इजाजत दूंगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, यह सदन (XXX) से नहीं चलेगा।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव के लगातार खड़े रहने और बोलते रहने पर)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, नेता विरोधी दल को सदन से निलम्बित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलेगा या नेता, विरोधी दल के कहने से?

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री को इंगित करें कि वह नेता, विरोधी दल को निकाले जाने का प्रस्ताव करें।

(घोर व्यवधान)

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव लगातार खड़े होकर बोलते रहे)

(मेजों की थपथपाहट से घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

[x x x x]

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, नेता विरोधी दल को सदन से निकाल दिया जाय, यह सदन की अवमानना है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ये जो कुछ बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

[x x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, मैं आपको

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सुनूंगा जरूर, लेकिन प्रश्नों के समय के बाद, उसके बावजूद भी आप?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुलायम सिंह यादव–

आज प्रश्नों के घण्टे का कोई महत्व नहीं है। पहले आप मान्यवर, मेरी प्रार्थना को सुन लें कि सबसे पहले आप डाक्टर दत्ता के केस पर अपना निर्णय सुना दें, उसके बाद सदन में आगे की कार्यवाही को शुरू करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, या तो आप भी कह दें कि हमारी सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं। मुझे आपसे ही उम्मीद बची है कि आप ही मेरी सुरक्षा का, विधायकों की सुरक्षा का प्रबन्ध करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप ही कुछ करें। इन लोगों का आचरण आप स्वयं ही इस समय देख रहे हैं। आने वाली औलादें, आने वाली सन्तानें क्या इनसे शिक्षा लेंगी? मुझे तो बस मान्यवर, आपसे ही उम्मीद बची है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं नेता विरोधी दल को सुनने के लिये तैयार हूं, लेकिन प्रश्नों के बाद। तब आप अपनी बात कह दीजियेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आप हमको अवसर दें...

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

[x x x x]

(घोर व्यवधान के मध्य)

[x x x x]

(व्यवधान)

श्री जय नारायण तिवारी–

मान्यवर, सदन में [xxx] हो रही है। आप सदन को नियमों के तहत चलावें।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

[x x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेहरबानी करके बैठ जाइये। मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। मैं खड़ा हूं प्रश्नों के बाद मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। माननीय नेता विरोधी दल यह बहुत ही ज्यादती की बात है यह ठीक नहीं है।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री यदुनाथ सिंह ने "पुलिस मन ठीक करो" का पोस्टर सदन में चारों ओर दिखाया)

श्री अध्यक्ष–

यह आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप अपना पोस्टर हटाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि--------

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। यह कोई तरीका नहीं है। आप नेता विरोधी दल हैं यह आपको शोभा नहीं देता है।

("पुलिस मन ठीक करो" का पोस्टर श्री राम सरन ने श्री यदुनाथ सिंह से लेकर अपनी मेज के सामने रख लिया)

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम सरन जी, आप अपना पोस्टर नीचे रखिये। नेता विरोधी दल आप बैठ जायं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्नों के समय के बाद अपनी बात उठा सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1

श्री राम आसरे वर्मा–

(व्यवधान के मध्य श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री।

(कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर विपक्ष के बहुत से सदस्य डायस की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करता हूं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री ब्रह्मानन्द उप कृषि निदेशक के विरुद्ध कथित झूठी रिपोर्ट

**1–श्री राम आसरे वर्मा, श्री विजय सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जून, 1984 में कृषि निदेशक ने श्री ब्रह्मानन्द, उप कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल के विरुद्ध लगभग 28 लाख रुपये के गबन करने की झूठी रिपोर्ट शासन को दी थी तथा इसका खण्डन तत्कालीन कृषि निदेशक श्री एस0 एन0 झा ने जुलाई, 1984 में करते हुए श्री शर्मा को निर्दोष बताया था? यदि हां, तो जून, 1984 की ऐसी झूठी रिपोर्ट भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जून, 84 में तत्कालीन कृषि निदेशक ने श्री ब्रह्मानन्द के कार्यकाल का विभागीय लेखा दल के द्वारा आडिट कराये जाने के उपरान्त रु0 27,97,140.03 की आडिट आपत्तियां तथा बरती गयी अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन को सूचित किया था।

तत्कालीन कृषि निदेशक श्री एस0 एन0 झा ने जुलाई, 1984 में शासन को यह सूचित किया था कि उठाई गई आडिट आपत्तियों अंकन रुपये बत्तीस लाख उन्सठ हजार सात सौ तीस रुपए तीस पैसे (रु0 32,59,730.30) में से एक लाख दस हजार नौ सौ सत्रह रुपए सत्तासी पैसे (रु01,10,917.87) को छोड़कर शेष आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। इन आपत्तियों में भी अभी तक श्री शर्मा के खिलाफ सीधे कोई गबन अथवा क्षति का मामला नहीं बनता है।

चूंकि झूठी रिपोर्ट नहीं भेजी गई अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी:– प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत लिये गये प्रश्नोत्तर

बरेली नगर की सीमा पर फल बागात नर्सरी एवं सब्जी उत्पादन में प्रयुक्त भूमि को नगर भूमि सीमा से मुक्त किये जाने की प्रार्थना पर विचार

**2—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली नगर से लगी हुई भूमि जिसमें फल बागात नर्सरी एवं सब्जी उत्पादन का कार्य होता है को नगर भूमि सीमा में अधिग्रहीत करने के नोटिस दिये गये हैं जिसके कारण भूमि मालिक एवं सब्जी उत्पादक व नर्सरी में कार्य करने वाले असंख्य नागरिक बेकार हो जायेंगे तथा नगर में साग सब्जी फल एवं पेड़ पौधों की आपूर्ति को गहरा आघात लगेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवसाय में लगे लोगों तथा उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुये उक्त भूमि को नगर भूमि सीमा से मुक्त करने के आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बाग और नर्सरी की वही भूमि ली जा सकती है जिसका भू-उपयोग मास्टर प्लान में कृषि से भिन्न अंकित है और जो किसी भू-धारक के पास सीमाधिक्य होती है। बरेली नगर संकुलन के लिये निर्धारित सीमा 1500 वर्गमीटर है और इस सीमा तक भूमि नहीं ली जा सकती।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-20 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1985 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लेखपालों को खसरे के खाना कैफियत में प्रविष्टि करने के सम्बन्ध में आदेश

*1—श्री बलराम यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार द्वारा लेखपालों को इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि परताल के समय पाये गये कब्जों का इन्द्राज खसरे में न किया जाय ? यदि हां, तो उपरोक्त निर्देश के रहते हुए दफा 209, 210, 123, 122 (4 एफ) उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में तत्संबंधी कोई संशोधन किया गया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त धाराओं का कब्जे का इन्द्राज न होने की दशा में क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कब्जे का इन्द्राज न करने के संबंध में लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल की संबंधित धाराओं में कोई संशोधन किया गया है अथवा शासन में प्रस्तावित है ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

शासन के नवीनतम आदेशों के अनुसार खसरे के खाना कैफियत में कब्जे की प्रविष्टि करना पूर्णतया प्रतिबंधित नहीं है। बल्कि आदेश यह है कि लेखपाल खसरे के खाना कैफियत में ऐसे व्यक्तियों के कब्जे की प्रविष्टि करें जो अनधिकृत रूप से अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि पर, गांव सभा भूमि एवं सीलिंग भूमि के पट्टेदारों की भूमि पर या गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट के अंतर्गत सर-

कारी भूमि के पट्टेदारों की भूमि पर काबिज हैं ।

उ0 प्र0 जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की इन धाराओं में कब्जे का इन्द्राज करने या न करने का कोई उल्लेख नहीं है, अतः इन धाराओं में संशोधन का प्रश्न नहीं उठता ।

लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल के संबंधित अनुच्छेदों में शासकीय आदेशों के अनुरूप संशोधन की कार्यवाही की जा रही है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में जमा भाषा निधि के ब्याज का भुगतान

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के पास भाषा निधि का 10 करोड़ रुपया कब जमा हुआ तथा उसका ब्याज किस वर्ष तक का अदा किया जा चुका है ? ब्याज का भुगतान किस-किस तिथि को किया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

भाषा निधि का 10 करोड़ रुपये का ऋण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के खाते में दिनांक 17-9-82 को जमा हुआ था । ब्याज के भुगतान का मार्च 1985 तक शासन द्वारा समायोजन किया गया ।

ब्याज का भुगतान निम्न तिथियों को शासन द्वारा समायोजित किया गया:—

तिथि	रु0 पै0
1—19-3-83	37,50,000.00
2—28-9-83	37,50,000.00
3—27-3-84	37,50,000.00
4—29-3-85	75,00,000.00

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उप निबन्धक कार्यालय, फैजाबाद, में सचिव पद हेतु साक्षात्कार तथा चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन

*1—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या सी 199/अधि0/एस0 सी0/81-29 कैडर दिनांक 6 मार्च, 1978 के परिपालन में दिनांक 14-3-81 को डी0 आर0 आफिस फैजाबाद में सचिवों का साक्षात्कार किया गया था तथा चयन आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की सूची कैडर लखनऊ (राज्य संवर्ग प्राधिकारी) को दिनांक 25-4-81 को भेज दी गयी थी ? क्या यह भी सही है कि उसमें राज्य संवर्ग अधिकारी द्वारा आपत्तियां करके उसे चयन आयोग के समक्ष डी0 आर0 आफिस फैजाबाद को 25-4-81 को भेजी गयी थी और वहां से निराकरण करके पुनः राज्य संवर्ग अधिकारी को सूची 25-5-81 को भेज दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सूची में चयनित 223 उम्मीदवारों में से केवल 13 को सचिव पद के लिये अनुमोदित कर दिया गया है ? यदि हां, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं किया गया ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी हां, राज्य संवर्ग प्राधिकारी द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ सूची उप निबन्धक को दिनांक 15-5-81 को, न कि दिनांक 25-4-81 को, वापस की गयी थी । उप निबन्धक द्वारा आपत्तियों का निराकरण करके सूची राज्य संवर्ग प्राधिकारी को दिनांक 28-5-81, न कि दिनांक 25-5-81, को पुनः भेजी गयी।

सूची में 223 नहीं बल्कि केवल 22 अभ्यर्थी थे । शेष 9 अभ्यर्थियों को वांछित अर्हताओं के अभाव में सचिव पद पर चयन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया ।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ के ग्राम मंझी निकरोजपुर तथा ग्राम हौला में ग्राम सभा की भूमि का गलत इन्द्राज

*1—श्री शारदा प्रताप—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि कलक्ट्रेट लखनऊ में स्थित अभिलेखागार के कर्मचारी श्री जयशंकर पुत्र श्री जगन निवासी मंझी निकरोजपुर ने खतौनी सन् 1356 व 1359 में एक अलग खाता डाल कर ग्राम सभा की 7 बीघे जमीन अपने पिता श्री जगन के नाम गैर कानूनी ढंग से दर्ज करा ली है ? इसी प्रकार ग्राम घइला तह0 व जिला लखनऊ में ग्राम सभा की जमीन पर चकबन्दी अधिकारियों तथा अभिलेखागार की साठ-गांठ से तमाम कृषि भूमि पर अराजक तत्वों ने अपने नाम दर्ज करा लिए हैं ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी कलक्ट्रेट लखनऊ अभिलेखागार में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा चकबन्दी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर अपना ध्यान आकृष्ट कर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

ग्राम मंझी निकरोजपुर में श्री जगन के नाम खतौनी 1356 व 1359 में एक अलग खाता डालकर 7 बीघा जमीन दर्ज कराये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 1310/1981 विचाराधीन है ।

ग्राम घइला, तहसील व जिला लखनऊ के ग्राम सभा की जमीन कुछ तत्वों के नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में डिप्टी कलेक्टर (प्रोटोकोल) द्वारा की गई जांच दिनांक 18-4-80 के अनुसार गांव समाज की कुछ भूमि पर इन्द्राज संदेहजनक पाये गए थे । उनकी आख्या के अनुसार अभिलेखों में हेरा फेरी राजस्व अभिलेखागार में हुई है जिसके आधार पर चकबन्दी कार्यवाहियों में भी कुछ कृषकों ने ग्राम सभा की भूमि पर स्वत्व के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं जिनमें से कुछ की दुरुस्ती के संबंध में कार्यवाही की जा चुकी है तथा कुछ के विषय में विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है। चकबन्दी आयुक्त/जिलाधिकारी लखनऊ को इस सम्बन्ध में जांच कराकर गलत इन्द्राजों को समाप्त कराने एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कठोर कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गए हैं ।

कचरे (गारबेज) से विद्युत उत्पादन

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कचरे (गारबेज) से बिजली बनाने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा तथा प्रगति क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री —

शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है ?

सहकारिता विभाग के मुख्यालय के अपर निबन्धक के पदों के संवर्ग

*3—श्री सरदार सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्यालय में चार पद जो अपर निबंधक के स्वीकृत हैं उसमें से तीन रु0 1660-2300 वेतनमान के पद विभागीय अधिकारियों के लिए हैं ? यदि हां, तो तीसरे पद पर आई0 ए0 एस0 अधिकारी की नियुक्ति क्यों की गयी है ? इस पर विभा-

गीय अधिकारी की नियुक्ति कब की जायेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह –

मुख्यालय के लिए स्वीकृत अपर निबंधक के 4 पदों में से एक पद आई0 ए0 एस0 संवर्ग का है और 2 पद विभागीय अधिकारियों के हैं । अवशिष्ट एक पद पहले आई0 ए0 एस0 के संवर्ग में था, जिसे बाद में नि:संवर्गीय घोषित कर दिया गया था, किन्तु उस पर प्रशासनिक आधार पर पूर्व की भांति आई0 ए0 एस0 अधिकारी की ही नियुक्ति की जाती रही है । उक्त पद सहकारिता विभाग के अधिकारियों के संवर्ग में भी सम्मिलित नहीं है ।

उक्त पद पर एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी के वर्तमान में नियुक्त होने के कारण उस पर विभागीय अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

अनाथ बालक बालिकाओं के वयस्क होने तक भरण पोषण व शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में जानकारी

*4–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी –

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बारह वर्ष से कम की अवस्था वाले अनाथ बालक बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा गोद लेकर उनके वयस्क होने तक उनका भरण पोषण एवं शिक्षण की व्यवस्था किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो ऐसी योजना न प्रारम्भ करने का कारण क्या है? हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी) –

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस योजना के प्रारम्भ न करने का मुख्य कारण यह है कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा 18 राजकीय संस्थायें संचालित की जा रही हैं जिनमें उनके भरणपोषण एवं शिक्षण की पूर्ण व्यवस्था है इसलिए इस योजना के प्रारम्भ करने की इस समय कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

नये तापीय विद्युत गृह न स्थापित किये जाने संबंधी कथित प्रस्ताव

*5–श्री जयदीप सिंह बरार –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए नए तापीय विद्युत गृहों का निर्माण प्रारम्भ न किया जाए बल्कि इन सीमित संसाधनों से मौजूदा तापीय विद्युत गृहों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाये ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री –

जी नहीं ।

कानपुर नगर में विद्युत उपभोक्ताओं पर बकाया

*6–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानगर कानपुर में विद्युत उपभोक्ताओं पर 20 करोड़ रुपया बकाया है? यदि हां, तो इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका बकाया 1 लाख रुपये से अधिक है? बकाया की वसूली के लिये तथा कनेक्शन आदि काटने की अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री–

कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर नवम्बर, 85 के अन्त में 20.44 करोड़ रुपया बकाया है। जिन उपभोक्ताओं पर 1 लाख रुपये से अधिक बकाया है उनकी संख्या 18 है। उपरोक्त बकायों

की वसूल करने के लिये कैसा प्रबन्ध द्वारा निम्न कार्यवाही की जा रही है।

1—उन सभी गैर सरकारी उपभोक्ताओं का जिन्होंने किसी मुकदमें के आधार पर न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं ले रखा है विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है।

2—उन सभी उपभोक्ताओं के विरुद्ध जिन्होंने किसी न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है, स्थगन आदेश निरस्त कराने की कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

3—बकाया धन की काफी बड़ी राशि सरकारी उपभोक्ताओं जैसे जल संस्थान, नगर महापालिका, अस्पताल इत्यादि (आवश्यक सेवायें) तथा अन्य ऐसे ही विभागों पर बकाये के रूप में शेष है । इनमें से अधिकतर विभागों की बिजली आवश्यक सेवा होने के कारण नहीं काटी जा सकी। विभागों से बार-बार सम्पर्क करने व अधिकारियों से स्वयं मिलने के बाद भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रयत्न जारी है।

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत तथा जल विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन

***7—श्री सूर्य प्रताप शाही—**

क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत तथा जल विद्युत की अलग-अलग अधिष्ठापित क्षमता क्या है? जनवरी 1985 से जून 1985 तक अलग-अलग उत्पादन कितने मेगावाट रहा है? एक जुलाई 1985 से 15 अक्तूबर, 1985 तक अलग-अलग उत्पादन औसत कितने मेगावाट है? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोनों क्षेत्रों में उत्पादन की कमी के कारण क्या हैं और इस स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन ताप विद्युत गृहों एवं जल विद्युत गृहों की अलग-अलग अधिष्ठापित क्षमता (डिरेटेड) 31-1-86 को क्रमशः 2662·50 मेगावाट एवं 1422·35 मेगावाट है। जनवरी, 85 से जून, 85 तक तापीय उत्पादन 3684 मि0 यू0 (औसत 850 मेगावाट) एवं जलीय उत्पादन 1810 मि0यू0 (औसत 400 मेगावाट) रहा। 1 जुलाई, 85 से 15 अक्टूबर, 85 तक तापीय उत्पादन 1867 मि0 यू0 (औसत 750 मेगावाट) एवं जलीय उत्पादन 1633 मि0 यू0 (औसत 600 मेगावाट) रहा।

जहां तक जलीय उत्पादन में कमी का प्रश्न है वह वर्षा के ऊपर निर्भर करता है । तापीय क्षेत्र में उत्पादन में कमी के निम्न कारण हैं:—

उत्पादन में कमी के कारण:

1—50 मे0वा0 की 7 रूसी इकाईयां (5 आबेरा एवं 2 हरदुआगंज) जो पिछले 14-15 वर्ष से कार्यशील हैं, उनके हाई प्रेशर पार्टस का खराब हो जाना ।

2—आबेरा की 100 मेगावाट की 3 मशीनें, 110 मेगावाट की 3 मशीनें (2 पनकी एवं 1 हरदुआगंज) एवं आबेरा 200 मेगावाट की 5 इकाईयां, मशीनों की डिजाइन की कमी के कारण कम लोड पर चलती हैं।

3—आबेरा की 200 मेगावाट की 1 इकाई एवं हरदुआगंज में 60 मेगावाट की 1 इकाई का अग्नि दुर्घटना के कारण बन्द रहना ।

4—पारीक्षा विद्युत गृह की 110 मेगावाट की प्रथम इकाई वाइब्रेशन के कारण ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पायी ।

5–उचित प्रकार का कोयला न मिलने के कारण तथा ओबरा "बी" पावर स्टेशन के कोल हैंडलिंग प्लांट की क्षमता का कम होना।

6–डिजाइन क्वालिटी के अनुरूप कोयले का न मिलना जिसके कारण न केवल कोयला मिलों पर अधिक भार पड़ता है बल्कि हाई प्रेशर प्रार्टस तथा फ्लू गैस पाथ एवं आई0 डी0 फैन का कटाव भी तेजी से होता है।

स्थिति में सुधार के लिये प्रयास:

1–ओबरा एवं हरदुआगंज की रूसी मशीनों के नवीनीकरण के लिये रूसी विशेषज्ञों की सेवायें।

2–केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एवं राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर सभी 27 तापीय मशीनों के "नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण" का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे तीन वर्षों में पूरा किया जायेगा।

3–परीक्षा की मशीनों में वाइब्रेशन कम करने के लिये मैसर्स बी0 एच0 ई0 एल0 पर निरन्तर दबाव डालने के उपरान्त इसे ठीक करा लिया गया है। इसे अब व्यावसायिक भार पर भी ले लिया गया है।

4–आग से क्षतिग्रस्त ओबरा की 200 मेगावाट की इकाई संख्या 10, फरवरी, 1986 में तथा हरदुआगंज की 60 मेगावाट की इकाई नं0 5 भी जनवरी 1986 में चालू कर दी गयी है।

5–ओबरा (बी) के कोल हैंडलिंग प्लाण्ट की क्षमता को बढ़ाया जाना।

6–कोयले की क्वालिटी में सुधार हेतु निरन्तर उपाय।

*8–श्री विष्णु देव–

[करण सं0 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

सुल्तानपुर जनपद के लेखपाल स्वर्गीय श्री माता प्रसाद सिंह की पत्नी को विशेष पेंशन

*9–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 मार्च, 85 को सुल्तानपुर कचहरी में बैलट बाक्स उतारते समय लेखपाल श्री माता प्रसाद सिंह की ट्रक से कुचल कर 6 मार्च को मृत्यु हो गयी थी ? क्या इस संबंध में दिनांक 17-10-85 को श्री माता प्रसाद सिंह लेखपाल की विधवा श्रीमती प्रभावती देवी का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विधवा को विशेष पेंशन दिये जाने हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जी हां।

स्व0 लेखपाल के सेवाकाल तक अन्तिम वेतन के बराबर विशेष पेंशन दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

राजस्व परिषद में ज्येष्ठ लेखा लिपिक/लेखाकार के पदों पर चयन हेतु परीक्षा तथा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*10–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् में ज्येष्ठ लेखा लिपिक/लेखाकार के पदों पर भर्ती के लिए सन् 1976 में कोई प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली गयी थी ? उक्त परीक्षा के परिणाम स्वरूप कितने लोगों का चयन किस पद के लिए किया गया और चयनित व्यक्ति कब से कार्य कर रहे हैं? उक्त चयनित व्यक्तियों में से कुछ कर्मचारी स्थायी घोषित किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? परिषद् में लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 1978 कब से लागू की

गयी है ? क्या उक्त नियमावली लागू होने की तिथि से पूर्व भर्ती किये गये कर्मचारियों पर भी लागू की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । वर्ष 1976 में परिषद् ने ज्येष्ठ लेखा लिपिकों के पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली थी ।

उक्त परीक्षा के परिणामस्वरूप 33 ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी । इसी ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की परीक्षा में चयनित प्रत्याशियों में से लेखाकार के पदों पर उस समय चल रही रिक्तियों में कार्यहित में 15 प्रत्याशियों की नियुक्ति लेखाकार के पदों पर अस्थाई तौर पर कर दी गयी थी । चयनित व्यक्ति वर्ष 1976 से कार्य कर रहे हैं ।

जी हां, चयनित व्यक्तियों में से 18 ज्येष्ठ लेखा लिपिकों, जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर ली थी, को दिनांक 7-2-86 को स्थाई घोषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लेखा परीक्षा नियमावली 1978 परिषद् के अधीन लेखा संगठन के कर्मचारियों पर दिनांक 1-8-78 से लागू की गई है ।

जी हां, प्रश्नगत कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन संबंधित सेवा-नियमावली के अनुसार ही होगा चाहे वे कर्मचारी नियमावली के प्रख्यापन के पूर्व से कार्य कर रहे हों अथवा बाद से ।

शहरी क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन

*11—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारी का उन्मूलन तो हो चुका है लेकिन शहरी क्षेत्र का जमींदारी उन्मूलन अभी तक नहीं हो पाया है जिससे कि शहरी क्षेत्र में नगरपालिका, टाउन एरिया तथा महापालिकाओं की आमदनी की बहुत हानि होती है? क्या सरकार इसको समाप्त करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की घोषित नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 के अधीन यथापरिभाषित कृषि भूमि में जमींदारी समाप्त कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने के लिए कोई विधिक व्यवस्था नहीं है । इस विषय में शासन द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

*12—श्री कौशिक रमाशंकर—

[दिनांक 14-2-86 को ता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित]

हिण्डालको प्रतिष्ठान पर विद्युत देय का बकाया

*13—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिण्डालको प्रतिष्ठान पर पिछले तीन वर्षों 83-84, 84-85 और 85-86 का विद्युत का कितना देय है और अब तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सर्वश्री हिण्डालको के ऊपर वर्ष 83-84 में 700 लाख, 84-85 में 843 लाख तथा 85-86 में 758.77 लाख रुपया (जनवरी, 86 तक) बकाया था । रु0 758.77 लाख का विवरण इस प्रकार है:—

(क) रु0 54.51 लाख-नाईट रेगुलेशन, कोयला अधिभार, आब-

कारी शुल्क, लोड फैक्टर के ऊपर लेट पेमेन्ट सरचार्ज ।

(ख) रु0 0.63 लाख-नाईट रेगुलेशन ।

(ग) रु0 501 लाख-दरों के पुनरीक्षण के कारण ।

(घ) रु0 141 लाख-विद्युत शुल्क ।

(ङ) रु0 5.0 लाख-रेनूसागर विद्युतगृह के शटडाउन की अवधि में विद्युत आपूर्ति के लिये ।

(च) रु0 1.63 लाख-मुख्य विद्युत आपूर्ति सीमा से अधिक लेने के कारण।

(छ) रु0 34 लाख-वर्ष 84-85 के न्यूनतम उपभोग गारंटी के कारण ।

(ज) रु0 21 लाख-माह अगस्त, 85 के बिलों में कटौती के कारण ।

रु0 758.77 लाख वसूली न किये जाने के कारण निम्न है:-

(1) मामला (क) एवं (ख) पंच निर्णय के अधीन है ।

(2) (ग), (घ) एवं (ङ) में की वसूली के लिये विद्युत विच्छेदन की नोटिस दी गयी थी जिस पर मेसर्स हिण्डालको ने प्रतिवेदन दिया था । मामला आपसी विचार-विमर्श से तय होना है ।

(3) (च), (छ) एवं (ज) में मेसर्स हिण्डालको ने प्रतिवेदन दिया है, मामला परिषद् के विचाराधीन है ।

14—श्री हर्षवर्धन—

[28वें मंगलवार के ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जनपद में हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां

*15—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने बिना विज्ञापन व सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में पहले से कार्यरत सहायक अध्यापकों के 16 पदों पर नियुक्तियां कर ली हैं ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और इन अवैध नियुक्तियों को रद्द करके नियमानुसार नियुक्ति करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

देवरिया जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने बिना विज्ञापन व सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 16 पदों के विरुद्ध 13 पदों पर नियुक्तियां की हैं।

इन नियुक्तियों पर शिकायत प्राप्त होने पर जांच के दौरान नियुक्तियां अनियमित पाये जाने के कारण उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा उक्त नियुक्तियां दिनांक 5-8-85 को निरस्त कर दी गईं। उपरोक्त 13 अध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करके निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । अतः इन 13 पदों पर नियमानुसार नियुक्ति करने में बाधा उत्पन्न हो गयी है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के भूतपूर्व निदेशक श्री राम रतन राम द्वारा अल्मोनियम एवं लोहे के बर्तन क्रय करने संबंधी आदेश

*16—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 निदेशक, श्री राम रतन एवं उप निदेशक श्री आर0 के0 गोयल की साजिशों

के कारण वर्ष 83-84, 84-85 में अल्मोनियम के बर्तनों की खरीद में विभाग को लगभग 50 लाख का घाटा पहुंचाया गया है ? 69 रु0 25 पैसा प्रति किलो का अल्मोनियम का बर्तन खरीदा गया जबकि स्टील का बर्तन 60 रुपया प्रति किलो की दर से उपलब्ध था ? यदि हां, तो क्या विभागीय उच्च अधिकारियों के खिलाफ शासन जांच करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के भू0 पू0 निदेशक श्री राम रतन राम एवं उप निदेशक, श्री आर0 के0 गोयल के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर कभी भी सीधे अल्मोनियम के बर्तन क्रय नहीं किये गये परन्तु तत्कालीन निदेशक श्री राम रतन राम, द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1984 को समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को, रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर, अल्मोनियम एवं लोहे के बर्तन क्रय करने हेतु आदेश दिये गये थे ।

जी नहीं, माह दिसम्बर, 1983 के रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर अल्मोनियम के बर्तन स्टेनलेस स्टील के बर्तन से सस्ते थे अतः अल्मोनियम के बर्तनों के क्रय के आदेश दिये गये थे । इस प्रकार इस मामले में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है, और विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरीश चन्द्र मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लखनऊ में मकान का निर्माण

*17–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीश चन्द्र मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता ने विगत 10 वर्षों से लखनऊ में रहकर एक आलीशान भवन का निर्माण लगभग 4 लाख की लागत से कराया है जिसके लिये उन्होंने परिषद् से किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज नहीं लिया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री हरीश चन्द्र मित्तल का लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण करके उनकी सम्पत्ति की जांच सतर्कता विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्री हरीश चन्द्र मित्तल दिनांक 20-12-1979 से लगातार लखनऊ में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तैनात हैं। श्री मित्तल ने लखनऊ में रु0 1,04,570.00 की लागत से एक मकान बनवाया है जिसके लिए उन्होंने परिषद् से कोई कर्ज नहीं लिया है । केवल इस आधार पर श्री मित्तल का लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण करके उनकी सम्पत्ति की जांच सतर्कता विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्री मित्तल ने मकान में खर्च के सम्बन्ध में जो विवरण दिये हैं उनसे राज्य विद्युत परिषद् सन्तुष्ट है।

सुल्तानपुर में नेवादा साधन सहकारी समिति के बहुरांवा में गोदाम के निर्माण में अनियमितता

*18–श्री मित्रसेन–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति बहुरांवा विकास खंड वल्दी राय जनपद सुल्तानपुर के भवन निर्माण में अधिक धन खर्च करने, ईंट खरीद दर में वित्तीय अनियमितता, फर्जी खरीद रसीद, एडवान्स दिये जाने तथा गलत तरीके से सगे संबंधियों के नियुक्ति

विषयक तत्कालीन सम्प्रेक्षा अधिकारी श्री सीता राम तिवारी के निरीक्षण नोट दिनांक 27-4-79 में कोई मामला प्रकाश में लाया गया है? यदि हां, तो सम्प्रेक्षण में जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

साधन सहकारी समिति बहुरांवा नाम की कोई संस्था विकास खण्ड बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर में नहीं है, परन्तु नेवादा साधन सहकारी समिति का ग्रामीण गोदाम ग्राम बहुरांवा में बनाया गया है। इस गोदाम के निर्माण के संबंध में वर्ष 1977-78 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रश्नगत आपत्तियां सम्प्रेक्षाधिकारी द्वारा उठाई गई थीं। गोदाम के भवन निर्माण में अधिक धन खर्च करने के संबंध में समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति जिला सहायक निबन्धक को नहीं भेजी गई। इसकी जिम्मेदारी समिति के सचिव की थी, जिसकी सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं। ईंट की खरीद की दरों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। संदिग्ध बाउचर के संबंध में अधिक भुगतान के लिए समिति के तत्कालीन अध्यक्ष को जिम्मेदार पाया गया। उन्हें ही ईंट खरीद हेतु रु0 4,000 एडवांस दिये गये थे, जिसे उन्होंने 2 मास 27 दिन बाद वापस किया था। उनसे अधिक भुगतान की गई धनराशि तथा अग्रिम धन पर ब्याज की धनराशि वापस कराने के आदेश जिला सहायक निबन्धक द्वारा जारी कर दिये गये हैं। बिना विभागीय स्वाकृति तथा बिना जमानत के समिति द्वारा नियुक्त किये गये चपरासी/आंकिक की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। वह तत्कालीन अध्यक्ष का सगा सम्बन्धी नहीं था और न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उसे सगा सम्बन्धी बताया गया था।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में सेवा निवृत्त अधिकारियों की विशेषज्ञ के पद पर नियुक्तियां

*19–श्री कृष्ण कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार तथा उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् दोनों ने सेवा निवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को नवयुवकों को अधिक सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए पुनः सेवा में न लेने का निर्णय लिया था, लेकिन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, उपर्युक्त आदेश के बावजूद 58 वर्ष की सेवा उपरान्त सेवा निवृत्त अधिकारियों के नये-नये पद सृजित करके पुनः सेवा में ले रही है? यदि हां, तो इन पदों पर नयी नियुक्तियां क्यों नहीं की गयीं?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में यह निर्णय लिया जा चुका है कि 58 वर्ष की आयु के बाद किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी को पुनः सेवा में न लिया जायें या सेवा विस्तार न किया जाये परन्तु अत्यन्त विशिष्ट एवं वैज्ञानिक अथवा तकनीकी कार्य हेतु दो वर्ष के लिए कन्सलटेन्ट के रूप में रखा जा सकता है।

कतिपय विशेषज्ञ प्रकृति वाले अल्पकालीन कार्यों के लिए कुछ विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्तियां परिषद् द्वारा परिषदीय कार्यहित में की गयी हैं। निर्धारित कार्य पूर्ण होने के साथ-साथ अंशकालीन नियुक्तियां स्वतः समाप्त होती जा रही हैं।

सूखाग्रस्त अथवा बाढ़ग्रस्त जिला घोषित किये जाने का मापदण्ड

*20–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी जिले को सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त

घोषित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की नीति और मापदण्ड क्या है? क्या इस नीति और इस मापदण्ड में उन्नाव जिले को सूखाग्रस्त बाढ़ग्रस्त घोषित न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

शासन द्वारा किसी भी जिले व क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है बल्कि जिलाधिकारी द्वारा क्षति की सूचना देने पर उसे तदनुसार मान लिया जाता है। उन्नाव जिले के लिये भी यही नीति है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

समाज कल्याण निदेशालय से सम्बद्ध सहायक निदेशकों को वेतन भुगतान

1–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सहायक निदेशकों को मंडल से बुलाकर निदेशालय से सम्बद्ध किया गया है उनको यहां लाने का क्या कारण है तथा क्या उन्हें वेतन का भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

झांसी, कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडलों के सहायक निदेशक के पदों का उप निदेशक के पदों में उच्चीकरण करके इन मंडलों में उप निदेशक नियुक्त कर दिये गये। प्रशासकीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये मंडलों में पूर्व से नियुक्त सहायक निदेशकों को निदेशालय (मुख्यालय) से सम्बद्ध किया जाय।

उनको वेतन का भुगतान हो रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के ग्राम बैकुण्ठपुर से चकबंदी कार्यालय समाप्त किया जाना

2–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के बैकुन्ठपुर में स्थित चकबंदी कार्यालय कानूनगो और लेखपाल कार्यालय गोरखपुर के लिए स्थानान्तरण कर दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

ग्राम बैकुन्ठपुर, तहसील महराजगंज जिला गोरखपुर में अंतिम अभिलेखों के अवशेष कार्य के आधार पर, वहां चकबंदी अधिकारी कार्यालय बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया था।

वर्ष 1985-86 में निर्धारित लक्ष्य एवं अवशेष कार्य के आधार पर क्षेत्र के पुनर्गठन किये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यालय समाप्त किया गया तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों को गोरखपुर स्थानान्तरित कर दिया गया।

जिला गोंडा के ग्राम चौधरीडीह में चकबंदी में अनियमितताओं के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौधरी डीह तह0 बलरामपुर जिला गोंडा की चकबंदी में अवैधानिक व गंभीर शिकायतों के पाये जाने पर चकबंदी आयुक्त द्वारा दिनांक 6-6-84 को चकबंदी निरस्त कर दी गई थी? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी श्री राधाकान्त पाण्डे, चकबंदी अधिकारी, श्री रामवृक्ष सिंह, सहायक चकबंदी अधिकारी तथा श्री राम प्रसाद मिश्र,

सहायक चकबंदी अधिकारी को निलंबित किया गया ।

विभागीय कार्यवाही में श्री राम प्रसाद मिश्र, सहायक चकबंदी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया तथा उन्हें सेवा में पुर्नस्थापित किया गया ।

चकबंदी अधिकारी तथा एक सहायक चकबंदी अधिकारी (निलम्बित) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

बस्ती जिले में बांसी धानी मार्ग के निर्माण हेतु कतिपय ग्रामों की भूमि अर्जन का प्रस्ताव

4—हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में बांसी धानी मार्ग के निर्माण हेतु विशुनपुर मुरत हकम डडिया से भरा मुरत हकम व बड़हरा के काश्तकारों की भूमि प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो उस भूमि का प्रतिकर अभी तक न मिलने का क्या कारण है तथा भू-स्वामियों का नाम राजस्व विभाग के कागजों से न काटने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । प्रश्नगत ग्रामों की 18-28 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है । अतः प्रतिकर वितरित करने एवं भू-स्वामियों का नाम राजस्व अभिलखों से अभी काटने का प्रश्न नहीं उठता ।

निर्वाचन क्षेत्र गोकुल मथुरा के ग्रामों में अतिवृष्टि से पीड़ितों को राहत एवं रोजगार देने के कार्य

5—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि दिनांक 28-9-85 को प्रश्नकर्ता का एक पत्र विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोकुल मथुरा के ग्रामों में अतिवृष्टि से हुई क्षति के कारण पीड़ितों को राहत दिये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने उक्त क्षेत्र में ग्राम वाइज कौन-कौन राहत कार्य किये और लोगों को आगामी माह दिसम्बर, जनवरी, फरवरी व मार्च के लिए रोजगार देने के हेतु कौन-कौन सी योजना चलाई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। पम्पिंग सैटों द्वारा तहसील मांट व सादाबाद के जल प्लावित क्षेत्रों से जल निकासी की कार्यवाही की गई । तहसील मांट के ग्राम सौखखेड़ा, नगला हीरा, नगला आछटा, नगला अर्जुन, नगला टोडर, कांरव, सिहोरा, नौसारा, सीयरा, बना, नगला भरऊ, तालगढ़ी, भरऊगढ़, नगला हरी तथा तहसील सादाबाद के ग्राम जगसना, पंचावर, बल्टीकरी, सरकंडखेड़ा में अहैतुक सहायता तथा ग्राम पंचावर, बल्टीकरी व सरकंडखेड़ा में गृह अनुदान का वितरण किया गया । रोजगार देने के संबंध में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 10 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया और कुछ कार्य प्रगति में है । चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों पर कार्य जारी रहेंगे :—

1—राया से तिरवाहा
2—सिरिया की नगरिया से खप्परपुर
3—खप्परपुर से नवीपुर हबीबपुर
4—सिरिया नगला लोहागढ़ वाया दरबे कनाल
5—जुगसना से नगला मोहन ।

6—श्री भगवती सिंह विशारद—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

बरेली जनपद की साधन सहकारी समिति, उरला आलमपुर एवं जाफराबाद के कृषकों को देय अनुदान के भुगतान में अनियमितता

7—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति उरला

आलमपुर जाफराबाद, विकास खंड आलमपुर जाफराबाद जनपद बरेली में सन् 1984 में काश्तकारों को खाद की जो छूट (सबसिडी) दी गई थी, उसकी कुल धनराशि कितनी थी और उसमें से कितनी काश्तकारों में बांटी गयी थी और कितनी अवशेष है ? यदि अवशेष है तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

किसान सेवा सहकारी समिति लि0, उरला एवं साधन सहकारी समिति लि0, आलमपुर जाफराबाद, विकास खंड आलमपुर जाफराबाद जनपद बरेली के लघु व सीमान्त कृषकों को क्रमशः रु0 63,273.60 एवं रु03,132.00 अनुदान देय था जिसके विपरीत इन समितियों के प्रबंध निदेशक/सचिवों द्वारा गलत ढंग से बिल बनाकर क्रमशः रु0143,748.00 एवं रु79,711.98 के अनुदान के लिए प्रेषित किये गये जिनका भुगतान जिला कृषि अधिकारी द्वारा समितियों के नाम स्टेट बैंक के चेकों से समितियों के सचिवों को किया गया जो जिला सहकारी बैंक लि0, बरेली के माध्यम से समितियों के खातों में जमा कर दिया गया ।

उक्त प्रकरण के प्रकाश में आने पर साधन सहकारी समिति, आलमपुर जाफराबाद से रु0 17,880.00 स्टेट बैंक के ड्राफ्ट द्वारा जिला कृषि अधिकारी, बरेली को वापस कर दिया गया है । अवशेष धनराशि की वापसी हेतु तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरेली जनपद के ग्राम अनुरुद्धपुर का विद्युतीकरण

8–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद बरेली के ग्राम अनुरुद्धपुर का माह फरवरी, मार्च, 1985 में विद्युतीकरण किया गया है, लेकिन अनुचित ढंग से उक्त ग्राम के कुछ भाग ही का विद्युतीकरण किया है ? क्या सरकार इसकी जांच कर सम्पूर्ण ग्राम का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद बरेली के ग्राम अनुरुद्धपुर का माह फरवरी-मार्च, 1985 में विद्युतीकरण किया गया था। प्राक्कलन के अनुसार सम्पूर्ण गांव में 33 खम्भे लगाये जाने थे । तद्नुसार ही 33 खम्भे लगाये गये और कार्य पूरा किया गया था । सूचनीय है कि तालाब के पूर्व में ठाकुर द्वारे तक व जाटवों के मुहल्ले में 6 खम्भे और लगाने की मांग ग्रामवासियों ने की थी परन्तु वहां कोई कनेक्शन लेने वाला न होने के कारण और खम्भे नहीं लगाये गये। यदि कोई व्यक्ति कनेक्शन लेने का इच्छुक होगा तब और खम्भे लगाये जा सकते हैं । अस्तु जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद के विद्युत कार्यालयों के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय को गोरखपुर करने सम्बन्धित पत्र

9–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा 7 अगस्त, 85 को देवरिया जनपद के विद्युत कार्यालयों के अधीक्षण अभियन्ता के क्षेत्र को आजमगढ़ के स्थान पर गोरखपुर किये जाने के संदर्भ में प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो देवरिया जनपद का अधीक्षण कार्यालय गोरखपुर करने के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। विद्युत वितरण मंडल गोरखपुर के कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत वितरण खण्ड प्रथम एवं द्वितीय, देवरिया को विद्युत वितरण मंडल आजमगढ़ के अन्तर्गत राज्य विद्युत

परिषद् के आदेशानुसार कर दिया गया था। उपरोक्त पत्र की प्राप्ति पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इस पर पुनः विचार किया गया। किन्तु चूंकि उपभोक्ताओं के विद्युत सम्बन्धी अधिकांशतः सभी कार्य उस क्षेत्र के खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालयों से ही हुआ करते हैं और वे दोनों कार्यालय पूर्ववत अपने स्थानों (जनपद देवरिया) पर ही हैं, अतः उक्त में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

आजमगढ़ जनपद के ग्राम जमालपुर मेलखरा में सार्वजनिक आबादी हेतु सुरक्षित भूमि

10—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-जमालपुर मेलखरा, तप्पा-फरिहा, परगना-निजामाबाद, तहसील-सदर, जिला आजमगढ़ चकबंदी क्षेत्र सं0 9 आराजी नं0-224, 226 में सुरक्षित आबादी क्या ग्राम प्रधान के दरवाजे के पास है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम जमालपुर मेलखरा, तप्पा-फरिहा परगना निजामाबाद तहसील सदर, जिला आजमगढ़ सहायक चकबंदी अधिकारी क्षेत्र 9 में गाटा संख्या—224/4 मि0/280 सार्वजनिक आबादी हेतु सुरक्षित भूमि आबादी से संलग्न है, वही प्रधान का मकान भी है। गाटा सं0 226 में भूमि आबादी हेतु सुरक्षित नहीं है। गाटा सं0 224/4 में छोड़ी गयी भूमि चकबन्दी समिति की सहमति से विवरण पत्रों की तैयारी के समय सुरक्षित की गई है।

मूक बधिर विद्यालय, अयोध्या में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

11—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अयोध्या स्थित मूकबधिर विद्यालय अयोध्या में व्याप्त भ्रष्टाचार, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के शोषण एवं उत्पीड़न के संबंध में कुछ शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा विगत दो वर्षों से अब तक कितने शिकायती पत्र विभाग के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों, विभागाध्यक्ष एवं मंत्री जी को दिये गये और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद फैजाबाद के मूक बधिर विद्यालय अयोध्या में व्याप्त भ्रष्टाचार, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के शोषण एवं उत्पीड़न के संबंध में कुछ शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा विगत 2 वर्षों से अब तक 5 शिकायती पत्र विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विभागाध्यक्ष, मंत्री जी को दिये गये। इन शिकायती पत्रों की सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से जांच करा ली गई है। जांच का मुख्य निष्कर्ष यह था कि संस्था को अनुदान दिया जाय परन्तु वर्ष 84-85 में संस्था का आवेदन पत्र समयानुसार प्राप्त नहीं हुआ और वर्ष 85-86 के लिए निदेशालय के परामर्श के बावजूद प्राप्त ही नहीं हुआ है।

विधवाओं को अनुदान तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की संख्या

12—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 84-85 में शासन द्वारा एक लाख अतिरिक्त विधवाओं को विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन देकर प्रदेश के जनपदों में रहने वाली कितनी विधवाओं को लाभान्वित कराया गया? उसमें कितनी

हरिजन एवं जनजाति विधवायें लाभान्वित हुईं? यह अभियान किस महीने से किस महीने तक चालू रहा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वित्तीय वर्ष 1984-85 में प्रदेश को एक लाख अतिरिक्त विधवाओं को अनुदान देकर लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 98,616 विधवायें लाभान्वित हुईं। उनमें से 37,952 विधवायें अनुसूचित जाति, 566 विधवायें अनुसूचित जनजाति की थी। यह अभियान दिसम्बर, 84 से मार्च, 85 तक चलाया गया।

अयोध्या भिक्षुक गृह, फैजाबाद में भिक्षुकों की मृत्यु

13–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्या भिक्षुक गृह में वर्ष 83-84 में कितने भिक्षुओं की मृत्यु हुई? क्या वे किसी बाहरी जनपद से लाकर बंद किये गये थे? मृत्यु का कारण क्या है? क्या मृत्यु के पहले इनके उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया? क्या इस संबंध में कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी निलम्बित किया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद फैजाबाद स्थित भिक्षुक गृह में वर्ष 83-84 में कुल 9 भिक्षुकों की मृत्यु हुई थी। ये भिक्षुक दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थानान्तरित होकर इस संस्था में प्रवेश पाये थे तथा पूर्व बीमारी के कारण इनकी स्वाभाविक मौत हुई। मृत्यु से पूर्व इन भिक्षुक गृह के कर्मचारियों द्वारा उपचार हेतु किसी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। अतः इस लापरवाही के लिए भिक्षुक गृह के अधीक्षक, कम्पाउन्डर, वरिष्ठ लिपिक तथा बुनाई प्रशिक्षक को निलंबित किया गया था।

मूक बधिर विद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या व उनके वेतन की व्यवस्था

14–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में मूकबधिर विद्यालय, अयोध्या में कितने शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, यह विद्यालय किस वर्ष से चल रहा है, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन की क्या व्यवस्था है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय के शोषण और भ्रष्टाचार के संबंध में वर्ष 1983 में कोई जांच समिति नियुक्त हुयी थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद फैजाबाद में मूक बधिर विद्यालय अयोध्या में 2 शिक्षक व 1 प्रधानाचार्य अवैतनिक तथा 5 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। यह विद्यालय 1967 से चल रहा है। कर्मचारियों को केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के आधार पर प्रबन्धक द्वारा वेतन की व्यवस्था की जाती है। इस विद्यालय के शोषण एवं भ्रष्टाचार के संबंध में वर्ष 1983 में कोई शासन द्वारा जांच समिति नियुक्त नहीं की गई है। अतः जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त होने का प्रश्न नहीं है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा बहराइच जनपद में संचालित विद्यालय के संवासियों द्वारा तोड़-फोड़

15—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1984 में जनपद बहराइच स्थित बाल भिक्षुक गृह में बंदी बाल भिक्षुओं ने खाना न मिलने के कारण बंदी गृह में आन्दोलन कर दिया था और अपने-अपने बैरकों से बाहर निकल कर तोड़-फोड़ करने लगे और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फायरिंग तक करना पड़ा जिसमें कुछ जानें गईं? यदि हां, तो इस पूरे प्रकरण में किसकी जिम्मेदारी थी, फायरिंग में कितने बाल भिक्षुक जख्मी हुए और कितने मरे?

श्रीमतीस्वरूप कुमारी बख्शी—

बहराइच जनपद में बाल भिक्षुक गृह नाम की कोई संस्था हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नहीं है। उक्त जनपद में राजकीय अनुमोदित विद्यालय जो इस विभाग द्वारा संचालित है, में दिनांक 16-10-84 को खाना तथा कपड़ा आदि समय से न मिलने एवं नये वस्त्रों को देने के बाद पुराने वस्त्रों को जलाये जाने के कारण विद्यालय के संवासियों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई थी। उन्हें तितर-बितर करने एवं नियंत्रित करने के लिये पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ी गई एवं फायर बिग्रेड की सहायता से पानी डाला गया था। फायरिंग किये जाने तथा उससे किसी संवासी के जख्मी होने या मृत्यु होने की बात सत्य नहीं है। इस पूरे प्रकरण में श्री अद्या प्रसाद त्रिपाठी, तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय अनुमोदित विद्यालय, बहराइच उत्तरदायी ठहराये गये हैं।

ललितपुर जनपद के बिरधा विकास खण्ड के ग्रामों के नजदीक फील्ड फायरिंग रेन्ज

16—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के बिरधा विकास खण्ड के ग्राम जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं उनको प्रतिवर्ष सैनिक अभ्यास के समय खाली करा दिया जाता है जिससे ग्रामवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है इन्हें अन्यत्र बसाने की योजना शासन के विचाराधीन है या इस क्षेत्र से फील्ड फाइरिंग रेंज को अन्यत्र खाली स्थानों में करा के उन्हें राहत दिये जाने पर शासन विचार कर रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

सैनिक अभ्यास के समय ग्रामवासियों को केवल घर से बाहर न निकलने के लिए सावधान कर दिया जाता है और उन्हें जितने समय घरों में रहना पड़ता है उस अवधि का सेना विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति कार्य-दिवस की हानि के रूप में प्रतिकर दिया जाता है। इन ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने या सैनिक अभ्यास अन्यत्र कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

साधन सहकारी समिति, सुचितागंज खिरौनी, फैजाबाद के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

17—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित साधन सहकारी समिति खिरौनी के अन्तर्गत सहकारी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जो थाना रौनाही के पास हो रहा है, का निर्माण कार्य किस सन् में हुआ और इस पर कितने रुपये का धन शासन से स्वीकृत

था? क्या यह शीत गृह चालू हो गया? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

किसान सेवा सहकारी समिति लि0, सुचितागंज खिरौनी के कोल्ड स्टोरेज का सिविल निर्माण कार्य 30-5-80 से मार्च, 85 तक हुआ। इस शीतगृह के लिये शासन द्वारा रु0 47.60 लाख लागत मशीनरी की स्थापना मूल्य स्वीकृत किया गया था।

इस शीतगृह को अभी चालू नहीं किया जा सका है क्योंकि मशीनरी स्थापना व इन्सुलेशन का कार्य करने वाली फर्म द्वारा विलम्ब से ट्रायल दिया गया।

जनपद फैजाबाद स्थित सोहावल ताप विद्युत गृह बन्द किये जाने के कारण तथा अग्रिम कार्यवाही

18–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित सोहावल विद्युत गृह कितने दिन से बन्द पड़ा है और उसके बन्द होने का क्या कारण है? उसको चालू करने में कितनी धनराशि की आवश्यकता है? क्या जनपद गोरखपुर विद्युत गृह भी सोहावल विद्युत गृह की तरह पुराना है और जो आज भी चालू हालत में है? क्या सोहावल विद्युत गृह में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी आज भी बैठे वेतन ले रहे हैं? यदि हां, तो प्रतिमास वेतन पर कितना रुपया शासन का खर्च होता है? क्या सरकार का कोई इरादा सोहावल विद्युत गृह को बेचने का है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद फैजाबाद स्थित सोहावल तापीय विद्युतगृह दिनांक 30 जून, 1985 से स्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है। संयंत्रों की दशा में उत्तरोत्तर ह्रास, ऊंची लागत, कम उत्पादन तथा उपयुक्त कोयले की आपूर्ति न होने की दशा में इस विद्युत-गृह को बन्द करना पड़ा। वर्ष 1980-81 की कीमतों के आधार पर सोहावल तापीय विद्युतगृह के नवीनीकरण पर लगभग 264 लाख रुपये का व्यय आंका गया था।

जी हां।

सोहावल तापीय विद्युतगृह पर मूलतः 286 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत थे जबकि वर्तमान स्थिति में अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 267 है। इन कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का भली-भांति निरीक्षण करके प्रथम आगमन अंतिम बहिर्गमन के आधार पर जोन स्तर पर कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गयी है तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश निकट भविष्य में पारित कर दिये जायेंगे।

वर्तमान स्थिति में सोहावल तापीय कर्मचारियों का सम्मिलित मासिक वेतन विद्युतगृह पर नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मिलित मासिक वेतन लगभग दो लाख 67 हजार रुपये है।

जी हां। इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से सोहावल तापीय विद्युतगृह को वर्तमान स्थिति में चलाते रहना अथवा इसका नवीनीकरण करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

19–श्री जनार्दन प्रसाद झा–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण उप-खण्ड बिल्थरा रोड, बलिया का मुख्यालय

20—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभियंता (विद्युत) खण्ड बिल्थरा रोड-जनपद बलिया का मुख्यालय, बिल्थरा, रोड होने के बाद भी वह बलिया नगर में रहकर 65 कि0 मी0 दूर स्थित अपने कार्य क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की कठिनाइयों तथा कर्मचारियों तथा कार्यों की देख रेख किस प्रकार करते हैं ? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि उसके स्थान पर बिल्थरा रोड स्थित सहायक अभियंता को समायोजन पर रहने व सक्षम कार्य करने वाले अभियंता का समायोजन करने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सहायक अभियंता, विद्युत वितरण उप-खण्ड, बिल्थरा रोड का मुख्यालय बिल्थरा रोड है और वह वहीं पर रहते हैं न कि बलिया में उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं की कठिनाइयों का निराकरण तथा कर्मचारियों के कार्यों की देख-रेख वह स्वयं करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज के कतिपय ग्रामों में पुनः चकबन्दी

21—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज में पुनः चकबन्दी हो रही है ? क्या ग्राम शक्करपुर मवई, भदौनी, भुड़कड़हा, सन्दहा, पूरई कला और डोमनापुर आदि ग्रामों की चकें अव्यवस्थित ढंग से काटी गई हैं जिससे ग्रामों के काश्तकार क्षुब्ध हैं ? क्या उक्त ग्रामों में हरिजन आबादी एवं सार्वजनिक स्थान आबादी से काफी दूर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

यह सही नहीं है कि प्रश्नगत गांवों में चक अव्यवस्थित ढंग से काटे गये और चक निर्माण से असंतुष्ट चकदारों द्वारा आपत्ति/अपील व निगरानी प्रस्तुत की गई । ग्राम शक्करपुर और भदौनी का धारा 52 (1) के अंतर्गत दिनांक 18-6-84 को प्रकाशन हो चुका है । ग्राम मवई में कब्जा परिवर्तन हो चुका है । अन्य ग्रामों में भी चक निर्माण कार्य नियमानुसार किया गया है । उक्त ग्रामों में हरिजन आबादी एवं सार्वजनिक स्थान आबादी से उचित दूरी पर छोड़े गये हैं ।

जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत निर्मित दुकानों का क्षतिग्रस्त होना

22—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज में जो स्पेशल कम्पोनेन्ट के अंतर्गत दुकानें बनाई गयी हैं, वह सभी क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? जो दुकानें बनाई गई हैं, उसमें रा-मैटेरियल बिलकुल ही खराब लगा है ? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत कोइरीडीहा, जपटापुर, शाहगंज, गुरैनी, सबरहद, तथा लपरी में दुकानें बनाई गई । कोइरीडीहा, गुरैनी व शाहगंज में कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं ।

जांच में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज के कतिपय ग्रामों में स्वैच्छिक चकबन्दी योजना

23—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज में कौन-कौन से ग्रामों में स्वेच्छा से चकबन्दी हुई है ? उनका कब्जा काश्तकारों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज में ग्राम तुलापुर, चकमलूदी, चकफैजअली, शेखबलिया मुअज्जम, चकबिसहू दास अदायी पूरा मोहिनी मिश्र, चकरहमत, चकनोहर, भीखपट्टी, मुस्तफाबाद, चकमरियम, बूढ़ापुर बरौनी, ग्यासपुर नोनारी, जंगीपुर तथा भटौली में स्वेच्छिक चकबंदी योजना के अंतर्गत लिया गया था । उक्त ग्रामों में से 13 ग्रामों में कब्जा परिवर्तन कराया जा चुका है । केवल 2 ग्राम जंगीपुर एवं भटौली, जहां स्वेच्छिक चकबंदी योजना इस वर्ष तैयार की गई है, में कब्जा परिवर्तन फसल कटने के बाद कराया जायेगा ।

जौनपुर जनपद में बाढ़ राहत कार्यों हेतु प्रयुक्त नौकायें तथा मोटर बोट और नौकाओं के किराये की दर

24—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में बाढ़ राहत कार्य में कितनी नौकायें व मोटर बोट किन-किन स्थानों पर लगे थे तथा एक नौका का भाड़ा प्रतिदिन क्या दिया गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1985 के बाढ़ राहत कार्यों के निमित्त जौनपुर जनपद की तहसील क्षेत्र सदर में 290, केराकत में 57, शाहगंज में 152, मछलीशहर में 30, मडियाहू में 13 नावें तथा तहसील शाहगंज के पिलकिछा एवं राम नगर में 9 मोटर बोटें एवं जौनपुर शहर में 11 मोटर बोटें लगाई गई थी । नावों के प्रयोग के स्थानों की सूची लम्बी है अतः उसे कार्यालय में देखा जा सकता है।

नावों का किराया निम्नलिखित दरों से भुगतान किया गया :—

1—स्थानीय छोटी	50 रु0 प्रति नाव
2—स्थानीय मझोली	70 रु0 ,,
3—स्थानीय बड़ी	90 रु0 ,,
4—स्थानीय विशेष बड़ी	115 रु0 ,,
5—वाराणसी से मंगाई गई मझोली आकार की 82 नावें	85 रु0 ,,
6—मोटर बोट सभी सरकारी	शून्य

जौनपुर जनपद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान तथा गृह अनुदान का वितरण

25—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में बाढ़ से कितने कच्चे व पक्के मकान गिरे हैं? क्या राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में कोई सहायता दी गई? यदि हां, तो किस दर से, और कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद जौनपुर में वर्ष 1985 की बाढ़ में 61 पक्के तथा 3970 कच्चे मकान गिरे हैं। इस सम्बन्ध में गृह अनुदान का वितरण अभी नहीं किया गया है क्योंकि सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

जौनपुर जनपद के ग्राम गुरैनी में दुकानों का निर्माण तथा आवंटन

26—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज के अन्तर्गत ग्राम गुरैनी न्याय पंचायत तरसावों के अन्तर्गत हरिजन एवं निर्बल आवास-विकास निगम के अन्तर्गत जो दुकानें बन रही हैं वह कितने दिनों से बन रही हैं? जो कुछ दुकानें बनी हैं, उनका आवंटन आज तक नहीं हो पाया है? क्या शीघ्र आवंटन कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज के अन्तर्गत ग्राम गुरैनी में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा कोई दुकान नहीं बनाई जा रही है।

बल्कि उक्त स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड जौनपुर द्वारा 20 दुकानें बनाई जा रही हैं तथा वह वर्ष 1982-83 से बन रही हैं। 15 दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं। सभी दुकानों का आवंटन दिनांक 31-12-83 को हो चुका है।

जौनपुर जनपद के ग्राम क्यारा की फाइल, ग्राम सभा बनाम शीतला प्रसाद, पर आदेश

27—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज ग्राम क्यारा के 115 सी की फाइल ग्राम सभा बनाम शीतला प्रसाद में तहसीलदार शाहगंज ने अप्रैल, 85 से आदेश नहीं पारित किया है? यदि हां, तो आदेश न पारित करने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं आदेश पारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

28—श्री बालेश्वर—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जनपद के ग्राम रुच्चापार तप्पा हवेली, के खातेदारों की भूमि को पुरानी आबादी को अंकित किया जाना

29—श्री सुग्रीव सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रुच्चापार तप्पा हवेली परगना सलेमपुर मझौली तहसील सलेमपुर, जनपद-देवरिया के ग्राम समाज की भूमि आराजी नं0—103 रकबा 0.11 एकड़ पर क्या कतिपय ग्रामवासियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है? क्या इस अवैध कब्जे को हटा कर शासन द्वारा उक्त भूमि का आवंटन हरिजनों में आवास हेतु किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। प्रश्नगत भूमि खातेदारों की थी जिस पर अन्य व्यक्तियों के मकान बने थे जिसके कारण चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत इसे खातेदारों के नाम से खारिज कर पुरानी आबादी वर्ग 6(2) अंकित कर दिया गया।

अतः अन्य किसी को आवंटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जनपद देवरिया, तहसील पडरौना के निवासी श्री मारकण्डे कुमार पाण्डे और बैजनाथ कुमार पाण्डे के जिम्मे बकाया सरकारी धनराशि

30—श्री बालेश्वर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया, तहसील पडरौना, ग्राम देवरिया पाण्डेय के निवासी श्री मारकण्डे कुमार पाण्डे और बैजनाथ कुमार पाण्डे पुत्रगण स्व0 सरस्वती पाण्डे के जिम्मे सरकारी धनराशि का बारह

लाख रुपये वर्ष 1974 से बाकी है? क्या अब तक उपरोक्त धनराशि के वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री मारकण्डे कुमार पाण्डे और बैजनाथ कुमार पाण्डे पुत्रगण स्व0 सरस्वती पाण्डेय के जिम्मे सरकारी धनराशि रु0 11,30,271.64 (ग्यारह लाख तीस हजार दो सौ इकहत्तर रुपये चौंसठ पैसे (मात्र) वर्ष 1976-77 से बाकी है। उक्त बकाये की वसूली के लिए उत्पीड़क कार्यवाही की गयी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेश दिनांक 27-5-82 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही स्थगित है।

31–श्री अफजाल अंसारी–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील में मंगई नदी की बाढ़ से गांवों की फसलों को हुई क्षति एवं राहत कार्य

32–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील में मंगई नदी की बाढ़ से इस वर्ष कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जो चारों तरफ से घिर गये थे तथा मुख्य मार्गों से कटाफ हो गये थे तथा किन-किन गांवों की 75 प्रतिशत से अधिक फसलें पानी में डूबकर बरबाद हो गईं? मुख्य रूप से प्रभावित गांव सुखपुरा की भरटोल मोहनपुरा, गौरा गठिया, बरेजी, जकरौली, रसूलपुर, बेरजपुर, पहाड़ीपुर, रघुवरगंज, हाटा, नसरतपुर मानीकपुर, खेमपुर सिलाइच जोगा, गोड़उर, महेन्द, सोनवानी आदि गांवों में सरकार की ओर से क्या सुविधा पहुंचायी गयी एवं क्या राहत कार्य किये गये?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में वर्ष 1985-86 में मंगई नदी की बाढ़ से ग्राम सोनबरसा, कमरौरा चक्र, सबना (मठिया) नसरतपुर, मानिक चन्द पुर, खेमपुर, सिलाइच एवं रसूलपुर चारों ओर पानी से घिर गये थे तथा मुख्य मार्ग से कट गये थे।

उल्लिखित तहसील के 45 गांवों को (संलग्न सूची–1) की खरीफ की फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई।

11 गांवों (संलग्न सूची–2) में 17 नावों की व्यवस्था की गयी थी।

संलग्न सूची–3 के अनुसार 12 ग्रामों में राहत सामग्री का वितरण किया गया था।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 66–67 पर)।

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद विकास खण्ड की ग्राम सभा, सुल्तानपुर कविरहा हीराचक हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण

33–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद विकास खण्ड में ग्राम सभा सुल्तानपुर कविरहा, हीराचक हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण किस सन् में हुआ था? क्या वास्तव में वहां बिजली की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में मंगई नदी की बाढ़ से कतिपय ग्रामों को क्षति तथा देय सहायता

34—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में अगस्त-सितम्बर, 1985 में मंगई नदी में जो बाढ़ आई थी, उसमें कौन-कौन गांव पानी से बिल्कुल घिर गये थे? क्या यह सही है कि पहाड़ीपुर एवं बरेजी गांव की भरटोली चारों ओर से पानी-पानी हो गयी थी? यदि हां, तो वहां क्या सहायता पहुंचाई गई? क्या शासन द्वारा नाव की व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत अवधि में जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में मंगई नदी में जो बाढ़ आई थी उससे ग्राम सोनबरसा, कमरौरा चक, सोना (मठिया), नसरतपुर, मानिकचन्द पुर खेमपुर, सिलाइच व रसूलपुर के कुछ पुरवे पानी से चारों ओर से घिर गये थे।

ग्राम पहाड़ीपुर एवं बरेजी गांव की भरटोली चारों ओर से पानी-पानी नहीं हुआ था और मुख्य मार्ग तक जाने का रास्ता अवरुद्ध नहीं हुआ था अतः वहां पर राहत सहायता पहुंचाने एवं नावों की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता नहीं हुई थी।

35—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

साधन सहकारी समिति, खंडौली, विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के सचिव का निलम्बन

36—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, खंडौली विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के सचिव के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अक्तूबर, 1985 में थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में मुकदमा कायम हुआ? यदि हां, तो अब तक सचिव को निलम्बित न किए जाने का क्या कारण है तथा इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, सचिव को निलम्बित कर दिया गया है।

जिला सहकारी बैंक टेहरी गढ़वाल में श्री सुरेश चन्द्र कठिरिया एवं राम सनेही की पदोन्नति

37—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक टेहरी गढ़वाल में अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के अनुसार वर्ग तीन से वर्ग दो में श्री सुरेश चन्द्र कठिरिया एवं राम सनेही की पदोन्नति की गई है? यदि हां, तो क्या इनको उपरोक्त पद का चार्ज मिल गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

श्री सुरेश चन्द्र कठिरिया एवं श्री राम सनेही को उ0 प्र0 संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा वर्ग-3 से वर्ग-2 (ख) में पदोन्नति का अनुमोदन दिया गया था परन्तु जिला सहकारी बैंक लिमिटेड टेहरी गढ़वाल की प्रबन्ध कमेटी द्वारा उन्हें प्रोन्नत करने के आदेश अभी जारी नहीं किये गये हैं। निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा उपरोक्त बैंक को सेवा मण्डल के अनुमोदन का परिपालन करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद पौड़ी तथा चमोली के कतिपय ग्रामों को विद्युत उपलब्ध करवाने की मांग

38—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी के पाबौ पोखड़ा, बीरोखाल, खिर्सू और थलीसैण ब्लाक तथा जनपद चमोली के नारायण व गढ़ कर्ण प्रयाग एवं गैरसैण ब्लाक में बिजली कुछ ही गांवों में उपलब्ध करवाई गई है और समीप के ही अन्य गांवों को बिजली से वंचित किया गया है? यदि हां, तो इन ब्लाकों के सभी गांवों में शीघ्र विद्युत उपलब्ध करवाने के आदेश सरकार अविलम्ब करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों के ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य तथा प्रतिशत

39—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं व छठी पंच वर्षीय योजना में नैनीताल अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों के लिए प्रतिवर्ष कितने-कितने ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? निर्धारित लक्ष्य के विपरीत उक्त जनपदों में कितने-कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है?

श्री सुनील शास्त्री—

पांचवीं तथा छठी योजना में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का लक्ष्य व उपलब्धि (वर्षवार) निम्नवत् है:—

वर्ष	नैनीताल		अल्मोड़ा		पिथौरागढ़	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
3-75 तक की प्रगति	..	506	..	229	..	62
1975-76	19	64	26	64	21	3
1976-77	18	83	24	151	27	9
1977-78	75	59	100	118	90	58
1978-79	46	56	81	102	61	65
1979-80	39	50	115	136	60	64
पांचवीं योजना का योग ..	197	312	346	571	259	199
1980-81	29	30	154	192	64	13
1981-82	142	231	128	150	82	77
1982-83	35	288	102	89	48	127
1983-84	30	54	117	117	65	50
1984-85	24	88	156	159	87	87
छठी योजना का योग	260	691	657	707	346	354
5वीं एवं 6ठी योजना का योग	457	1003	1003	1278	605	553
छठी योजना के अन्त तक की प्रगति	..	1509	..	1507	..	615

40—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीनों जनपदों में अलग-अलग वर्ष 1986 के अन्त तक कुल कितने-कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो जाने की आशा है?

श्री सुनील शास्त्री—

वित्तीय वर्ष 85-86 के अंत तक नैनीताल जनपद में 86.9 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 56 प्रतिशत तथा पिथौरागढ़ जनपद में 36.3 प्रतिशत गावों के विद्युतीकरण हो जाने की आशा है।

प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु दी गई बिजली की दर

41—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु सस्ते दर पर या कम से कम उस दर पर जिस दर पर उद्योगों को बिजली दी जाती है, बिजली आपूर्ति करने की घोषणा करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री—

व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं से वर्तमान समय में रु0 22.50 प्रति अश्व शक्ति प्रति माह के नियम दर पर विद्युत का चार्ज लिया जा रहा है। इस दर पर 17 प्रतिशत लोड फैक्टर पर औसत शुद्ध दर 24.32 पैसे प्रति यूनिट आयेगी।

दिनांक 1-2-86 से विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निम्न औसत शुद्ध दर पर विद्युत का चार्ज लिया जा रहा है और इन उपभोक्ताओं द्वारा ईंधन अधिभार भी देय है:—

	पैसे प्रति यूनिट
(1) लघु उद्योग (20 प्रतिशत लोड फैक्टर)	68.77
(2) मध्यम उद्योग (20 प्रतिशत लोड फैक्टर)	77.24
(3) वृहद एवं भारी उद्योग	..
(क) विरल उद्योग (40 प्रतिशत लोड फैक्टर)	84.17
(ख) अविरल उद्योग (60 प्रतिशत लोड फैक्टर)	87-73

उपरोक्त से विदित होगा कि किसानों को उद्योगों से अपेक्षाकृत काफी कम दर पर विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसलिए उद्योगों के लिए लागू दर पर किसानों को विद्युत आपूर्ति करने में किसानों को कोई लाभ नहीं होगा।

बलिया जनपद में बिल्थरा रोड में घाघरा नदी के किनारे प्रस्तावित तापीय विद्युत गृह

42—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में बिल्थरा रोड में घाघरा नदी के किनारे विद्युत तापगृह बनाने के लिए बलिया जनपद 20 सूत्री क्रियान्वयन सलाहकार समिति ने कोई सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित कर शासन में भेजा है? यदि हां, तो यह लोक महत्व का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाने वाला है तथा इस योजना की प्रगति क्या है?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। प्रस्तावित तापीय विद्युत गृह की "फिजीबिलिटी रिपोर्ट" बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। रिपोर्ट पर भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही यह कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है।

बलिया जनपद के हरिजन विद्यालयों के अध्यापकों का बकाया वेतन

43—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के हरिजन विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन कितने दिनों से बाकी चल रहा है और हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों की इस समस्या से हरिजन छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है? क्या सरकार केवल हरिजन शिक्षकों का वेतन न देने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए दोषी लोगों पर कार्यवाही करने पर विचार करते हुए वेतन देने की तत्काल व्यवस्था करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

हरिजन शिक्षकों को वेतन न दिये जाने का कोई मामला शासन के संज्ञान में नहीं है। शासन द्वारा जिला योजना के अंतर्गत माह अक्टूबर, 1985 में जनपद बलिया को रु0 40,000/- की धनराशि वेतन इत्यादि भुगतान हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। पुनः शासनादेश सं0-440/26-1-86-9(5)/78 दिनांक 15-2-86 के द्वारा निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण की अतिरिक्त मांग के आधार पर उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण वाराणसी मण्डल (जिसमें जनपद बलिया भी सम्मिलित है) को रुपये 6 लाख की धनराशि वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला इलाहाबाद, तहसील हण्डिया के ग्राम किरांव के प्रधान श्री बृजराज सिंह व उनके परिवार के कब्जे में अनधिकृत ग्राम समाज की भूमि भूमिहीन हरिजनों को भूमि आवंटित किये जाने की व्यवस्था

44—श्री झिलमिट राम—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला इलाहाबाद तहसील हण्डिया के ग्राम किरांव के प्रधान स्वयं और अपने परिवार जनों के कब्जे में ग्राम समाज की 45 बीघा जमीन जोत के लिए रखे हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला इलाहाबाद के तहसील हण्डिया के ग्राम सभा के प्रधान श्री बृजराज सिंह स्वयं अथवा उनके परिवार जनों के कब्जे में ग्राम समाज की कोई भी भूमि उनके द्वारा नहीं जोती गई है।

45—श्री झिलमिट राम—

क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम प्रधान ने करीब 10 कि0 मी0 दूर स्थित किसी संस्था को ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर दे दिए हैं और भूमिहीन ग्राम के हरिजनों को भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम के भूमिहीन हरिजनों को भूमि आवंटित कराने की कोई व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम प्रधान किरांव श्री बृजराज सिंह द्वारा ग्राम सभा की 14 बीघा 14 बिस्वा 5 धुर भूमि का पट्टा हंडिया डिग्री कालेज हंडिया के प्रबंधक श्री देवराज सिंह, निवासी हण्डिया के नाम किया गया है।

ग्राम सभा की 60 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन 76 पात्र व्यक्तियों में किया गया है जिसमें से 57 व्यक्ति हरिजन थे जिन्हें 45 बीघा 9 विस्वा भूमि आवंटित की गई है। शेष 18 अन्य वर्ग के व्यक्तियों को 15 बीघा 3 विस्वा आवंटित हुई। उस समय आवंटन से कोई भी पात्र व्यक्ति छूटा नहीं था।

शासन द्वारा हरिजन आबादी के विस्तार हेतु भूमि सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम

46—श्री झिलमिट राम—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला इलाहाबाद तहसील हण्डिया के ग्राम धारूपुर के हरिजन लोग भूखण्ड 245 व 250 पर पुस्तों से आबाद हैं? क्या यह सही है कि उक्त आबाद हरिजनों की आबादी पर कब्जा करने की नियत से ग्राम के सबल लोग हरिजनों को विभिन्न फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन हरिजनों की आबादी सुरक्षित रखने के लिए कोई समुचित व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

भूखण्ड संख्या 245 में कोई आबादी नहीं है । भूखण्ड संख्या 250 के 2 बिस्वे क्षेत्रफल में श्री कालू पुत्र रजई, हरिजन का पुराना मकान स्थित है ।

भूखण्ड संख्या 250 के संबंध में न्यायालय में विभिन्न वाद चले जिसमें से 5 अभी विचाराधीन हैं, जिसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

शासन द्वारा हरिजन आबादी के विस्तार हेतु भूमि सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में प्राविधान किया गया है।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

उ0 प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ द्वारा निर्माणाधीन सहकारी शीतगृहों की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

47—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—8 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनियमित ढंग से दरों में वृद्धि करने के कारण कितनी हानि हुई और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके खिलाफ आज तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

निबन्धक, सहकारी समितियां के निरीक्षण के अनुसार दरों में वृद्धि करने के कारण 10,80,179 रुपये की हानि हुई है । उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

48—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—8 के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण सामग्री के उपयोग में क्या-क्या अनियमितता की गई, इससे कितनी क्षति हुई, इस अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी थे तथा इस क्षति को इन अधिकारियों से अविलम्ब वसूल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

निबन्धक, सहकारी समितियां के निरीक्षण में निर्माण सामग्री अधिक मात्रा में प्रयुक्त करने की अनियमितता पाई गई । इससे कुल 3,46,830 रु0 की क्षति हुई ।

दायित्व निर्धारण एवं क्षति पूर्ति हेतु विस्तृत जांच की जा रही है ।

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग के निर्माण में कृषकों की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

49—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985

के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या–5 नत्थी 'घ' के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस ब्याज लेने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत देने के बारे में किया है उसके अनुसार जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में शीशगढ़-बहेड़ी मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई विभिन्न ग्रामों के कृषकों की भूमि के एवज में दिए जाने वाले मुआवजे के साथ भुगतान किया जायेगा तथा उनकी भूमि का मुआवजा देते समय आज के बाजार भाव पर मुआवजा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

9 ग्रामों के भू-स्वामियों को संशोधित अधिनियम के अनुसार ब्याज सहित प्रतिकर का भुगतान दिनांक 22-1-1986 एवं 29-1-1986 को किया जा चुका है । शेष 8 ग्रामों के भू-स्वामियों के प्रतिकर का अवार्ड तैयार किया जा चुका है, तथा भू-स्वामियों के पहचान एवं व्यक्तिगत प्रतिकर के वाउचर्स तैयार किये जा रहे हैं । यह कार्य पूरा होते ही इन भू-स्वामियों को भी प्रतिकर भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद बरेली, तहसील बहेड़ी में गिरधरपुर तिलमाची राजूनगला मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि, प्रतिकर का भुगतान

50–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या-5, नत्थी ''घ'' के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस ब्याज देने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने संशोधित अधिनियम के अंतर्गत देने के बारे में किया है उसके अनुसार जनपद बरेली तहसील बहेड़ी में गिरधरपुर तिलमाची-राजूनगला मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई विभिन्न ग्रामों के कृषकों की भूमि के एवज में दिये जाने वाले मुआवजे के साथ भुगतान किया जाएगा तथा उनकी भूमि का मुआवजा देते समय आज के बाजार भाव पर मुआवजा दिया जायेगा । यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्रामों की भूमि का अर्जन अभी विचाराधीन है । भूमि अर्जन के उपरान्त ही संशोधित अधिनियम के अनुसार प्रतिकर भुगतान संभव होगा ।

कोल हैण्डलिंग प्लान्ट का विस्तार कोयले की क्वालिटी संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु कार्यवाही

51–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 18, नत्थी ''घ'' के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5×200 मेगावाट की इकाइयों में कम क्षमता वाले कोल हैंडलिंग प्लांट का विस्तार कर दिया गया है तथा अग्नि दुर्घटनाग्रस्त 200 मेगावाट की इकाइयां चालू हो चुकी हैं एवं कोयले की खराब क्वालिटी में अब सुधार हो चुका है ? यदि नहीं, तो इन समस्याओं के निवारण हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री–

अभी नहीं ।

कोल हैण्डलिंग प्लान्ट के विस्तार के लिये फीजिबिलिटी रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उनकी स्वीकृति के लिये भेज दी गयी है ।

ओबरा की क्षतिग्रस्त 200 मे0 वा0 की दो इकाइयों में से इकाई संख्या–11 उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। दूसरी इकाई संख्या 10 को ठीक करने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है और इसे जनवरी, 86 में रोल भी किया जा चुका है।

कोयले की क्वालिटी में अभी तक कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। प्राप्त होने वाले कोयले का ग्रेड आवश्यक ग्रेड से सामान्यतया एक या दो ग्रेड नीचे रहता है । कोयले के साथ अवांछनीय पदार्थों जैसे पत्थर के टुकड़े, लोहे के टुकड़े तथा शेल्स प्राप्त किये जाने की घटनाओं में कुछ कमी अवश्य हुई है । कोयले की क्वालिटी में सुधार के लिये विद्युत परिषद् प्रयासरत है । इस सम्बन्ध में विद्युत गृह पर प्राप्त किये गये कोयले की "मासिक विश्लेषण रिपोर्ट" केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजता रहता है इसके अतिरिक्त हर तीन महीने के अंतराल पर होने वाली "स्टैंडिंग लीकेज कमेटी" की बैठकों में विद्युत गृहों को प्राप्त होने वाले कोयले की खराब क्वालिटी की ओर ध्यानाकर्षण कराया जाता रहता है ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित विद्युत गृहों की स्थापित क्षमता, उत्पादन

52–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित विद्युत गृहों की स्थापित क्षमता के मुकाबले में वास्तविक विद्युत उत्पादन पिछले दस वर्ष में प्रत्येक वर्ष गिरता चला जा रहा है ? यदि हां, तो नए तापीय विद्युत गृहों के निर्माण के बजाय क्या सरकार अपने सीमित आर्थिक संसाधनों को पुराने तापीय विद्युत गृहों की क्षमता को पूर्णतया उपयोग करने हेतु लगाने का निर्देश अविलम्ब देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद द्वारा संचालित तापीय विद्युत गृहों की स्थापित क्षमता, उत्पादन तथा प्लान्ट लोड फैक्टर पिछले 9 वर्ष में निम्न प्रकार रहा––.

वर्ष	स्थापित क्षमता मेगावाट	डीरेटेड क्षमता मेगावाट	उत्पादन मि0यू0	पी0एल0 एफ0 प्रतिशत
1976–77	1406.5	1357.0	5796.3	59.4
1977–78	1776.5	1664.0	6111.9	48.2
1978–79	1981.1	1877.0	6441.7	42.9
1979–80	2173.1	2065.0	6854.3	41.6
1980–81	2363.1	2265.0	6733.7	37.0
1981–82	2545.1	2269.5	7512.2	38.4
1982–83	2545.1	2469.5	8419.7	40.1
1983–84	2591.5	2422.5	7663.1	40.1
1984–85	2698.5	2662.5	6744.9	40.5

विद्युत उत्पादन 80-81 तक गिरने के पश्चात् अब बढ़ना शुरू हो गया है। आशा है कि चालू वर्ष 1985-86 की समाप्ति पर इस वर्ष विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक रहेगा। पुराने ताप विद्युत गृहों की क्षमता का पूर्णतया उपयोग करने के उपाय किए जा रहे हैं तथा उसके लिए एक नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य-क्रम तैयार किया गया है।

बाढ़ तथा अतिवृष्टि से बाराबंकी जनपद के विकास खण्ड देवा और बंकी के गांवों में गृह अनुदान का विवरण

53—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी के विकास खंड देवां और बंकी में कुल कितने गांव तथा कौन-कौन से गांव अतिवृष्टि तथा बाढ़ की क्षति के कारण गृह अनुदान की सूची में रखे गए ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि 31 अक्तूबर, 85 तक इनमें से कितने ग्रामों में गृह अनुदान वितरित किया गया ? क्या यह सही है कि अधिकांश गांवों में गृह अनुदान वितरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1985 में आई बाढ़ तथा अतिवृष्टि से बाराबंकी जनपद के विकास खण्ड देवा के 95 ग्राम तथा विकास खण्ड, बंकी के 30 ग्राम प्रभावित हुए थे। सूची संलग्न है। इन सभी ग्रामों को गृह अनुदान वितरण की सूची में रखा गया।

दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 तक उक्त ग्रामों में से 25 ग्रामों में चेक द्वारा गृह अनुदान का वितरण किया गया। तदोपरांत 97 ग्रामों में गृह अनुदान वितरण हेतु चेक जारी किए जा चुके हैं। शेष बचे तीन ग्रामों—खमरिया, औरंगनगर व करन्जवारा में गृह अनुदान पाने हेतु कोई व्यक्ति पात्र नहीं पाया गया। इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि अधिकांश ग्रामों में गृह अनुदान वितरित नहीं हुआ है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 68-69 पर।)

54—श्री रणजीत—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

विद्युत वितरण खंड (प्रथम एवं द्वितीय) देवरिया को विद्युत वितरण मण्डल आजमगढ़ के अधीनस्थ कर दिए जाने से उपभोक्ताओं को कठिनाई

55—श्री रणजीत—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम एवं द्वितीय) जनपद देवरिया जो कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोरखपुर के अधीनस्थ था आजमगढ़ मण्डल के अधीनस्थ कर दिया गया है ? यदि हां, तो इससे उपभोक्ताओं को जो कठिनाई उत्पन्न हुई है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। विद्युत वितरण खण्ड, (प्रथम एवं द्वितीय) देवरिया को विद्युत वितरण मण्डल गोरखपुर से विद्युत वितरण मण्डल आजमगढ़ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आदेशानुसार कर दिया गया है। देवरिया में कार्यरत दोनों विद्युत वितरण खण्ड एवं उनके अधीनस्थ सभी उपखण्ड पूर्ववत् अपने स्थान पर ही बने रहने के कारण उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

जनपद देवरिया में विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत गोदाम का निर्माण

56—श्री रणजीत—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि जनपद देवरिया में विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के कुल कितने गोदाम कहां-कहां स्वीकृत हैं और कितनी लागत से निर्माण कार्य कहां-कहां प्रारम्भ हैं तथा कितने गोदाम का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जनपद देवरिया में विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत कुल 241 गोदाम विभिन्न समितियों के लिए स्वीकृत हैं, जिनमें से 197 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं।

शेष 44 गोदामों में से 22 में निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें 19 में प्रत्येक की स्वीकृत लागत 1.05 लाख रु0 से लेकर 1.09 लाख रुपये तक है तथा तीन गोदामों की स्वीकृत लागत जमीन नीची होने के कारण क्रमशः 1.10 लाख रु0 1.11 लाख और 1.14 लाख रु0 है। 22 गोदामों का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उक्त सभी ग्रामीण गोदामों की सूचियां संलग्न हैं†

विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, देवरिया का मुख्यालय

57–श्री रणजीत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत खण्ड द्वितीय गौरी बाजार के नाम पर एक आफिस गौरी बाजार में न चलकर देवरिया में चलता है ? क्या यह सत्य है कि एस0 डी0 ओ0 द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त कराने तथा देवरिया बड़े शहर में रहने हेतु ऐसा किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं। "विद्युत खण्ड द्वितीय गौरी बाजार के नाम से कोई भी खण्ड अथवा उपखण्ड राज्य विद्युत परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं है। अतएव वहां गौरी बाजार में किसी ऐसे कार्यालय के होने अथवा चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि गौरी बाजार का क्षेत्र विद्युत वितरण उप खण्ड–द्वितीय, देवरिया, जिसका मुख्यालय देवरिया में ही है, के अन्तर्गत आता है अतः संबंधित एस0 डी0 ओ0 का देवरिया में रहना आवश्यक है।

देवरिया जनपद में जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों के छात्रवृत्ति का आवंटन व पुस्तकीय सहायता

58–श्री रणजीत–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 83-84 व 85 में जूनियर हाई स्कूल 7 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि हरिजनों को, पिछड़ी जाति एवं जनजातियों को आवंटित की गई थी और किन-किन विद्यालयों को कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति व पुस्तकीय सहायता के रूप में दी गई थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

देवरिया जनपद में वर्ष 83-84 में अनुसूचित जाति के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों हेतु कुल 5,63,000 रुपए का आवंटन प्राप्त था जिसका पूर्ण उपभोग कर लिया गया था जिससे जनपद के शैक्षिक संस्थाओं के कक्षा 7 व 8 तक के छात्रों में कुल 416 छात्रों को पुस्तकीय सहायता के रूप में 39,936/- रुपए तथा 2635 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 2,52,960/- रुपए वितरित किए गए। शेष 2,70,104/- रु0 कक्षा 6 के छात्रों तथा बकाया भुगतान पर व्यय हुआ। वर्ष 84 85 में दशमपूर्व अनुसूचित जाति के कक्षा–

†छापी नहीं गई।

6 से 8 तक के छात्रों के लिए कुल 8,10,000/- रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसका पूर्ण उपभोग कर लिया गया है। जिससे कक्षा–7 के व 8 के 1482 पर 1,41,952/- रुपए पुस्तकीय सहायता के रूप में तथा 3281 छात्रों पर 3,14,976/- रुपए छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान किया गया। शेष 3,53,072/- रुपए कक्षा–6 के छात्रों पर एवं बकाया भुगतान पर व्यय किया गया है।

1983-84 में पिछड़ी जाति के कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु कुल 5,17,000 रुपये की धनराशि का आवंटन प्राप्त था जिसका पूर्ण उपभोग कर लिया गया था जिसमें कक्षा-7 व 8 के कुल 716 छात्रों को 68,736 रुपये पुस्तकीय सहायता के रूप में तथा 1655 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 1,58,880 रुपये भुगतान किया गया। शेष 2,89,384 रुपये कक्षा-6, 9, 10 के छात्रों की छात्रवृत्ति बकाया भुगतान पर व्यय हुआ है। 1984-85 में पिछड़ी जाति के कक्षा-6 से 10 के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु कुल 4,37,400 रुपये का आवंटन प्राप्त था जिसका पूर्ण उपभोग कर लिया गया है। जिसमें कक्षा–7 व 8 तक के कुल 8 छात्रों को पुस्तकीय सहायता के रूप में 778 रुपये एवं 1034 छात्रों को 1,00,042 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया है। शेष 3,36,580/- रुपये कक्षा–6, 9, 10 के छात्रों की छात्रवृत्ति बकाया धन छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। विद्यालय को प्रदान की गई पुस्तकीय सहायता व छात्रवृत्ति की सूची† मा0 सदन के पटल पर रख दी गई है।

इस जनपद में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। अतः वर्ष 1983-84 व 1984-85 में छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम कुमार त्रिपाठी, सचिव, जनता थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, देवरिया तथा मैनेजर श्री शम्भू नाथ त्रिपाठी से बकाया देयों की वसूली

59–श्री रणजीत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामकुमार त्रिपाठी, जनपद थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के जिम्मे जिला सहकारी संघ, देवरिया का 5316 रुपये 10 पैसे अब भी बाकी हैं तथा उसके मैनेजर शम्भू तिवारी के जिम्मे जिला सहकारी संघ का 640 रुपये 10 पैसे भी बाकी हैं? क्या उसे वसूलने की कोई कार्यवाही सरकार द्वारा की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री राम कुमार त्रिपाठी, सचिव, जनता थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, देवरिया के जिम्मे जिला सहकारी संघ देवरिया का रु0 5317-08 तथा मैनेजर श्री शम्भू त्रिपाठी के जिम्मे रु0 640-10 बकाया था। दोनों कर्मचारियों से उक्त देयों की वसूली कर ली गयी है।

सेवा निवृत कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान

60–श्री रणजीत –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्त होने के कितने दिन बाद उनके भविष्य

† छापी नहीं गई।

निधि का भुगतान किये जाने का प्राविधान है ? क्या यह सत्य है कि श्री राम नारायण सिंह पुत्र श्री राजबली सिंह ग्राम व पोस्ट पथरहट नायब तहसीलदार, हाटा 31-1-81 को सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो उनकी भविष्य निधि का पैसा अब तक न मिलने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

पूर्व में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के 6 माह के अन्दर अपने विभाग को भविष्य निधि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होता होता था । उस प्रार्थना पत्र पर महालेखाकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी करने पर भविष्य निधि का भुगतान किया जाता था । अब वित्त (सामान्य अनुभाग-4 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-सा-4 ए0 जी0 57/दस-84-510-84 दिनांक 26-12-84 के अनुसार सेवा निवृत्ति के समय संबंधित कर्मचारी की पास बुक में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान कर दिये जाने का प्राविधान है, तथा शेष 10 प्रतिशत का भुगतान सेवा निवृत्ति के विलम्बतम 3 माह के भीतर महालेखाकार के लेखों से मिलान करके महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर कर दिया जाता है ।

कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार श्री राम नारायण सिंह संग्रह अमीन दिनांक 31-1-81 को सेवा निवृत्त हुए थे । उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-ए0 बी0 यू0/12461 में जमा धनराशि का अन्तिम भुगतान महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद से अधिकार पत्र प्राप्त होने पर किया जाना है । इस हेतु उनका आवेदन पत्र कोषागार फार्म नं0 425 की कार्यालय से समस्त वांछित सूचनाओं के साथ कलेक्टर देवरिया के पत्र संख्या-261/संग्रह दिनांक 6 मार्च, 1981 द्वारा महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है और उन्हीं के कार्यालय में लम्बित है ।

श्री राम कुमार त्रिपाठी, सचिव, जनपद थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, देवरिया, का स्थानान्तरण तथा कार्यमुक्त न किये जाने का कारण

64–श्री रणजीत –

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामकुमार त्रिपाठी, सचिव, जनपद थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार देवरिया का स्थानान्तरण 20 वर्ष बाद मिर्जापुर के लिए हुआ है और उन्हें जिला सहायक निबंधक, देवरिया द्वारा अभी तक रिलीज नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह –

श्री राम कुमार त्रिपाठी, जनपद थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0, देवरिया में सचिव के पद पर जनवरी, 1970 से कार्यरत थे । सदस्य सचिव संवर्ग प्राधिकारी, उ0 प्र0 सहकारी उपभोक्ता भंडार केन्द्रीयित सेवा के आदेश दिनांक 22-7-85 द्वारा मिर्जापुर के लिए उनका स्थानान्तरण किया गया था । परन्तु उन्हें उक्त भंडार के लिए अधिक उपयोगी बताते हुए भंडार के प्रशासक द्वारा अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

62–श्री रणजीत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लखनऊ द्वारा संचालित विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं बनी है? यदि हां, तो

मंत्री जी उक्त नियमावली बनवाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, उक्त कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं बनी है।

जी नहीं।

उ0 प्र0 सहकारी बैंक लि0, लखनऊ द्वारा संचालित विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना निर्धारित अवधि के लिये एक अस्थायी योजना है और वर्तमान समय में परियोजना के अन्तर्गत पदों की स्वीकृति 31-3-86 तक ही है। उक्त योजना के नितान्त अस्थायी प्रकृति के होने के कारण उसके अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

63–श्री रणजीत–

[उरे शुक्रवार की अता0 प्र0 सं0 56 की पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त]

बांदा के जिलाधिकारी द्वारा गांव समाज व सीलिंग की जमीन के दिये गये पट्टे, हरिजन व्यक्तियों को प्राथमिकता

64–श्री राम सजीवन –

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा के जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश दिये हैं कि गांव समाज व सीलिंग की जमीनों के पट्टे नसबंदी कराने वालों को दिये जायं? बांदा जिले में अप्रैल, सन् 1985 से अब तक कितने पट्टे किये गये ? क्या इन पट्टों की वैधता की जांच मौके पर जिले के बाहर के अधिकारियों का दल भेजकर कराई जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

जी नहीं ।

माह अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 तक गांव सभा व सीलिंग के निम्नलिखित पट्टे दिये गये हैं :–

1. आवास स्थल आवंटन	5,038
2. गांव सभा कृषिक भूमि आवंटन	548
3. सीलिंग भूमि का आवंटन	297

प्रश्न नहीं उठता ।

65–श्री राम सजीवन –

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पांच हरिजन व्यक्तियों को आवास एवं खेती की जमीनों के पट्टे दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शासन कौन से कदम उठा रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

पात्र हरिजन व्यक्तियों को आवास एवं कृषि भूमि के पट्टे प्राथमिकता के आधार पर करने के प्राविधान कर दिये गये हैं।

मऊ तापीय विद्युत गृह के बन्द होने की स्थिति में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण

66–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत पावर हाउस, मऊनाथभंजन (आजमगढ़) के बन्द होने की स्थिति में वहां कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाया नहीं गया और वे भारी मात्रा में कल पुर्जे काले बाजार में बेच कर सरकारी धन की क्षति कर रहे हैं? क्या सरकार उक्त पावर हाउस के स्टाक रजिस्टर व वाउचर के साथ उसके सामानों का वैरीफिकेशन करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

मऊ तापीय विद्युतगृह को स्थायी तौर पर बन्द किये जाने की तिथि पर वहां दो अधिकारी एवं 305 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें से एक अधिकारी एवं 148 कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त किया जा चुका है। एक अधिकारी एवं 70 कर्मचारी विद्युत गृह से सम्बद्ध 132 के0 वी0 ग्रिड सब-स्टेशन (मऊ) एवं अन्य आवश्यक कार्यों में कार्यरत हैं तथा शेष 87 कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। विद्युतगृह को बन्द किये जाने की तिथि से अब तक किसी कल पुर्जे की चोरी की कोई घटना नहीं हुई है।

मऊ तापीय विद्युतगृह को स्थायी तौर पर बन्द किये जाने के तुरन्त उपरान्त स्टाक रजिस्टर बन्द कराकर समस्त सामग्रियों का भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

परीछा तापीय विद्युत गृह द्वारा विद्युत का उत्पादन

67–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवनिर्मित परीछा विद्युत परियोजना, झांसी द्वारा मई, 1985 तक कुल कितने यूनिट का उत्पादन किया गया है और कुल कितना कोयला, गैस, तेल, कच्चे माल की लागत आयी है? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना द्वारा एक भी यूनिट का उत्पादन नहीं किया गया और लागत बीस लाख से भी अधिक आयी है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सुनील शास्त्री–

परीक्षा तापीय विद्युत गृह द्वारा मई, 1985 तक 685.51 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया था तथा इसके उत्पादन में 51405 मीट्रिक टन कोयला और 7181.98 किलो लीटर तेल प्रयुक्त हुआ जिसकी कुल लागत लगभग 3.865 करोड़ रुपये आयी है।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में सिनेमा, कोल्ड स्टोरेज तथा औद्योगिक संस्थानों का प्रति हा0 पा0 प्रतिमाह यूनिट का उपभोग

68–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में वर्ष 1982-83 व 83-84 में सिनेमा, कोल्ड स्टोरेज तथा एक सौ हा0 पा0 से ऊपर के औद्योगिक संस्थानों का औसतन प्रति हा0 पा0 प्रतिमाह कितने यूनिट का उपभोग आया और कितने घंटे प्रतिदिन चलने का औसत आया?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बलिया शहर सब डिवीजन, बिल्थरा रोड सब डिवीजन का लाईन लास का प्रतिशत

69–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया शहर सब डिवीजन का लाइन लास का प्रतिशत वर्ष 1984 के अप्रैल से वर्ष 1985 के 31 मार्च तक माहवार क्या था और सब डिवीजन बिल्थरा रोड, बलिया का इन्हीं कार्यकाल का लाइन लास का औसत क्या था तथा दोनों सब डिवीजनों का अलग-अलग एक वर्ष का लाइन लास बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश के व्यक्तिगत नलकूप पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं से लिया गया विद्युत का चार्ज

70—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश के निजी नलकूप मालिकों को बिजली कितने पैसे प्रति यूनिट तथा बड़े उद्योगों को कितने पैसे प्रति यूनिट दी जा रही है?

श्री सुनील शास्त्री—

व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं से वर्तमान समय में रु0 22.50 प्रति अश्व शक्ति प्रति माह के नियत दर पर विद्युत का चार्ज लिया जा रहा है। इस दर पर 17 प्रतिशत लोड फैक्टर पर औसत शुद्ध दर 24.32 पैसे प्रति यूनिट आयेगी। दिनांक 1-2-86 से विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निम्न औसत शुद्ध दर पर विद्युत का चार्ज लिया जा रहा है और इन उपभोक्ताओं द्वारा ईंधन अधिभार भी देय है:—

	पैसे प्रति यूनिट
(1) लघु उद्योग (20 प्रतिशत लोड फैक्टर)	68.77
(2) मध्यम उद्योग (30 प्रतिशत लोड फैक्टर)	77.24
(3) वृहद एवं भारी उद्योग—	
(क) विरल उद्योग (40 प्रतिशत लोड फैक्टर)	84.17
(ख) अविरल उद्योग (60 प्रतिशत लोड फैक्टर)	87.73

71—श्री शारदानन्द अंचल—

[करण सं0 26(1) के अंतर्गत उत्तरित]

जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा को तहसील बनाने का कथित प्रस्ताव

72—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा को तहसील बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी कार्यवाही सरकार कब शुरू करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

विद्युत उपभोक्ता संघ, पिंडरा, ब्लाक जिला वाराणसी के सक्रिय सदस्यों पर विद्युत बकाया एवं वसूली

73—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उपभोक्ता संघ, पिंडरा, ब्लाक जिला वाराणसी के सक्रिय सदस्यों ओंकार सिंह, पुत्र जगविदित, रामधारी सिंह, पुत्र फुलगेन शंकर सिंह, गांव मानपुर, ब्लाक पिंडरा तथा अन्य 7 व्यक्ति मानपुर के ऊपर एक लाख रु0 का क्रमशः 10 हजार, 35 हजार व 9 हजार रुपया बिजली बिल का बकाया पड़ा है? यदि हां, तो उसके वसूल न किये जाने का कारण क्या है?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, प्रश्नगत दस उपभोक्ताओं पर माह 12/85 तक विद्युत बकाये एवं वसूली का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 70 पर।)

श्री राम आधार शास्त्री, गांव रमईपुर पिंडरा, ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी पर विद्युत बिल का बकाया

74—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राम आधार शास्त्री गांव रमईपुर पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के ऊपर 10 हजार रुपये के करीब बिजली का बकाया है? यदि हां, तो

इसके वसूलने की क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसकी जांच कर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्री राम आधार शास्त्री पुत्र श्री शिवनाथ गांव रमईपुर पिंडरा ब्लाक पिंडरा वाराणसी के ऊपर माह 12/85 तक विद्युत बिल का रुपया 7031.60 का बकाया है जिसकी वसूली हेतु कनेक्शन विच्छेदित कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।

75–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद आगरा में सहकारी समिति बमरौली कटारा को फास्फोरस व पोटास वाली खादों पर शासन द्वारा दी गई छूट

76–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में सहकारी समिति बमरौली कटारा पर वर्ष 1983-84 व 1984-85 में फास्फोरस व पोटास वाली खादों पर शासन द्वारा दी गई छूट से कितने किसान लाभान्वित हुए और कुल छूट की धनराशि क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

वर्ष 1983-84 में आगरा जनपद की सहकारी समिति बमरौली कटारा द्वारा उर्वरक अनुदान के बिल प्रेषित न किए जाने के कारण शासन द्वारा उक्त समिति को कोई छूट नहीं दी गयी थी। वर्ष 1984-85 में फास्फोरस व पोटास वाली खादों पर शासन द्वारा दी गई छूट से 197 किसान लाभान्वित हुए। छूट की कुल धनराशि मु0 20,545.90 रु0 थी।

आगरा नगर के ग्राम सौहल्ला में विद्युतीकरण की मांग

77–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरविन्द वर्मा, सचिव ऊर्जा विभाग के अ0 शा0 प0 सं0-1146पी/84-23पी/दिनांक 15 फरवरी, 1984 जो तत्कालीन अपर मुख्य अभियंता लैसू, उ0 प्र0 विद्युत परिषद् श्री एस0 मजूमदार को लिखा गया था उन्हें आदेश दिया गया था कि आगरा नगर के ग्राम नरीपुरा व सौहल्ला जो नगर महापालिका सीमा में आ गये हैं, को शहर की भांति विद्युत आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाय, इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? जब ग्राम नरीपुरा का विद्युतीकरण हो गया है तो ग्राम सौहल्ला के विद्युतीकरण में क्या कठिनाई है और उसका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, ग्राम सौहल्ला के विद्युतीकरण के संबंध में प्रशासक, नगर महापालिका, आगरा को लिखा गया था परन्तु उन्होंने धनाभाव के कारण कार्य करवाने में असमर्थता प्रकट की थी। अस्तु ग्राम सौहल्ला का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

अखिल भारतीय विद्युत कल्याण परिषद, उ0 प्र0 के शिष्टमण्डल का ऊर्जा मंत्री को दिया गया ज्ञापन

78–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 अगस्त, 1985 को अखिल उपभोक्ता कल्याण परिषद्, उ0 प्र0 का एक शिष्टमण्डल ऊर्जा मंत्री जी से मिला था ? यदि हां, तो ज्ञापन क्या था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

महामंत्री, अखिल भारतीय विद्युत उपभोक्ता कल्याण परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ के सदस्य, वितरण एवं वाणिज्य उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद को सम्बोधित ज्ञापन दिनांक 22-8-1985 में विद्युत वितरण खण्ड, (द्वितीय) बस्ती, में व्याप्त कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जांच की मांग की गयी थी । तदनुसार अधीक्षण अभियन्ता, कन्ट्रोल एवं मानीटरिंग यूनिट, लखनऊ द्वारा मामले की प्रारम्भिक जांच करायी गयी। जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु मामला विद्युत परिषद की जांच समिति को सौंप दिया गया है ।

ललितपुर जनपद के अन्य क्षेत्रों में सब स्टेशन बनाने का विचार

79–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के दूर दराज के क्षेत्रों में 100 से 150 कि0 मी0 लम्बी विद्युत लाइनें डाली गयी है, ललितपुर को छोड़ कर कोई विद्युत सब-स्टेशन नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हफ्तों तक बन्द रहती है ? यदि हां, तो क्या जनपद के अन्य क्षेत्रों में सब स्टेशन बनाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक बनाने का विचार है ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अमरनाथ गुप्ता, अधिशासी अभियंता की अनियमितताओं के संबंध में जांच

80–श्री विजय सिंह राणा–

द्वितीय सत्र 1985 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर नाथ गुप्ता अधिशासी अभियंता की अनियमितताओं के संदर्भ में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो इसके संदर्भ में श्री गुप्ता का स्पष्टीकरण क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । श्री अमर नाथ गुप्ता, अधिशासी अभियंता के स्पष्टीकरण पर समुचित विचारोपरान्त राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उन्हें कतिपय अनियमितताओं के लिए निन्दा प्रविष्ट दे दी गयी है ।

ग्राम चौधरी डीह, तहसील बलरामपुर, जिला गोण्डा में चकबन्दी क्रिया

81–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौधरी डीह तहसील बलरामपुर जिला गोण्डा की चकबंदी क्रिया चकबंदी आयुक्त के आदेश दिनांक 11-8-83 द्वारा स्थगित कर दी गयी थी और जांचोपरान्त आदेश दिनांक 6-6-84 द्वारा निरस्त कर दी गई थी लेकिन पुन: चकबंदी आयुक्त द्वारा दिनांक 29-6-84 को निरस्तीकरण आदेश स्थगित कर दिया गया और पुन: जांच कराकर अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और अब तक इस संबंध में कार्यवाही किस स्तर पर है और चकबन्दी क्रिया कब तक पूरी करा दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, ।

श्री कामेश्वर नाथ आदि कृषकों ने इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया थी कि सभी पक्षों की सुनवाई नहीं की गई है । उनके

प्रार्थना पत्र पर चकबंदी आयुक्त द्वारा दिनांक 29-6-84 को उप संचालक चकबन्दी, न्यायिक को यह आदेश दिये गये कि सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

गांव में दलगत राजनीति के कारण जिला में तैनात अधिकारी इस मामले की जांच एवं निस्तारण करने के लिए अपने को असमर्थ पा रहे हैं । जिलाधिकारी के अनुरोध के अनुसार मुख्यालय पर तैनात जोनल उप संचालक चकबन्दी को ग्राम चौधरीडीह में सभी प्रभावित पक्षों को सुनकर निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं ।

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गांव में चकबन्दी क्रिया कब तक पूरी होगी ।

उपनिबन्धक, वाराणसी के क्रियाकलापों के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

82—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्षेत्रीय सांसदों, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक एवं सहकर्ताओं ने उपनिबन्धक वाराणसी के क्रियाकलापों के विरुद्ध उनसे तथा मुख्यमंत्री से स्वयं मिलकर 30 मई, 85 को शिकायतें की हैं? यदि की हैं, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री अरुण कुमार सिंह—

इस सम्बन्ध में शिकायतों का कोई लिखित ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ । मौखिक रूप से भी उक्त तिथि को कोई शिकायत की गयी हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है । अतः कार्यवाही किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

83—श्री मैनेजर सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

श्री जयमंगल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ के विरुद्ध जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया शिकायती पत्र

84—श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री राम सरन, श्री बलराम यादव तथा श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जय मंगल सिंह बन्दोबस्त अधिकारी आजमगढ़ के विरुद्ध विभागीय कर्मचारियों व जनता के प्रतिनिधियों ने गम्भीर शिकायती पत्र शासन को दिया था, जिस पर भू0पू0 व वर्तमान चकबन्दी आयुक्त ने स्थानान्तरण के बाद ही जांच होना संभव बताया था ? तदोपरान्त शासन ने स्थानान्तरण कर दिया परन्तु उसका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। श्री जय मंगल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ का जनपद फतेहपुर को किया गया स्थानान्तरण, मध्य सत्र में स्थानान्तरण न करने की नीति के आधार पर, केवल वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए स्थगित किया गया है ।

नया बाजार, लालबाग, लखनऊ में विभिन्न एजेन्सी की लगी हुई पूंजी, हानि तथा आडिट आपत्तियां

85—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नया बाजार, लालबाग, लखनऊ में जुलाई, 85 तक कुल कितनी पूंजी विभिन्न एजेंसी की लगी है ? कितने रुपये की हानि 30 जून, 85 तक हो चुकी है ? मुख्य-मुख्य आडिट आपत्तियां 30 जून, 85 तक क्या हैं ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

नया बाजार, लालबाग, लखनऊ में जुलाई, 1985 तक कुल पूंजी विनियोजन रु0 83,66,316.85 का था।

उक्त संस्था को दिनांक 30 जून, 1985 तक रु0 77, 93,614.91 की संकलित हानि हो चुकी है।

आडिट विभाग द्वारा नया बाजार लखनऊ की वर्ष 1980-81 तक की आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिनमें मुख्य आपत्तियां निम्नानुसार दर्शायी गयी हैं:–

(1) बिक्री धन का अपहरण
(2) व्यापारिक स्कन्ध का अपहरण
(3) बिलों से अधिक का भुगतान
(4) लेखी सम्बन्धी अनियमिततायें।

सम्पूर्ण आडिट रिपोर्ट माननीय सदस्य द्वारा मेरे चैम्बर में देखी जा सकती है।

नया बाजार, लालबाग लखनऊ में गबन के मामले तथा पदासीन निबंधक सहकारी समितियों की सूची

86–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नया बाजार, लालबाग, लखनऊ में कई लाख रुपये की गबन अनियमितताएं 30 जून, 1985 तक हो चुकी हैं और लगभग 10 लाख रुपये का माल अधिक दिनों से राज्य सात माल (कॉन्फिसकेटेड माल) पड़ा सड़ रहा है? यदि हां, तो इस अवधि में कौन-कौन निबंधक सहकारी समितियां पदासीन थीं तथा सरकार सम्बन्धित निबन्धकों के विरुद्ध जिम्मेदारी ठहराकर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

नया बाजार लालबाग लखनऊ में 30 जून, 1985 तक रु013,73,703.28 के गबन के मामले प्रकाश में आए हैं। रु0 2,08,118.67 मूल्य की राज्य सात वस्तुएं अवशेष हैं।

समय-समय पर पदासीन निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश की सूची संलग्न है।

किसी समिति में हुई गड़बड़ियों के लिए किसी निबन्धक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

मामले में दोषी पाये गये 81 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 71 पर)

देवरिया जिला के कप्तानगंज टाउन एरिया क्षेत्र में हरिजनों को आवासीय पट्टे दिये जाने सम्बन्धी श्री रामकेवल प्रसाद का पत्र

87–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि देवरिया जिला के कप्तानगंज टाउन एरिया क्षेत्र में 10 वर्ष के बाद भी हरिजनों को आवासीय पट्टे नहीं दिए गये जिसके सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधि श्री रामकेवल प्रसाद ने गत एक वर्ष में करीब एक दर्जन पंजीकृत पत्र द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किया? यदि हां, तो इतने दिनों तक आवासीय पट्टे न दिए जाने के क्या कारण हैं एवं पट्टे कब तक दे दिए जायेंगे?

श्री बल्देव सिंह सिंह आर्य–

जी नहीं।

श्री राम केवल प्रसाद के केवल दो आवेदन पत्र दिनांकित 10 अक्टूबर, 1984 एवं 28 नवम्बर, 1984 प्राप्त हुए हैं।

नगर क्षेत्र समिति कप्तानगंज ने अपने प्रस्ताव दिनांक 5 दिसम्बर, 1975 द्वारा 76 पात्र परिवारों को आवास स्थल हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित कर पट्टा दे दिया किन्तु बाद में गाटा संख्या–3860/0-80 के अर्जन की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण 36 परिवारों को भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी ।

मा0 सुरेन्द्र मिश्र, विधायक, बरहज, देवरिया का लेखपाल के विरुद्ध कथित पत्र

88–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सुरेन्द्र मिश्र, विधायक बरहज, देवरिया का पत्र दिनांक 5 जुलाई, 85 इस आशय का कि एक लेखपाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को अपने प्रभाव में करके कागजों में हेराफेरी तथा नक्शों में परिवर्तन, अपीलों का पैसा लेकर टाइप करना तथा बिना अधिकारी के आदेश के 23 अपील ग्राम जसुई का निस्तारण करना आदि गंभीर आरोपों का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या शासन पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र मिश्र का सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र परतावल एवं घुघली के गांवों का विद्युतीकरण

89–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास क्षेत्र परतावल एवं घुघली के कितने गांवों के विद्युतीकरण हो चुके हैं और कितने गांव शेष हैं उसका विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ? ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां तार खिंच गए हैं किन्तु बिजली की लाइन नहीं मिली है ? लाइन कब तक खिंच जायेगी ? ऐसे कौन-कौन गांव हैं जहां वर्षों से खम्भे पड़े हैं लेकिन उन्हें गाड़ा नहीं जा रहा है ? इसका दायित्व किस पर है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र परतावली के 48 ग्रामों तथा घुघली के 50 ग्रामों का विद्युतीकरण माह अक्टूबर, 1985 तक हो चुका है । विकास क्षेत्र परतावल के 54 तथा घुघली के 26 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है । इन अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1990 तक हो जाने की संभावना है।

ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां तार खिंच गये हैं किन्तु बिजली नहीं मिली है और न ही ऐसा कोई गांव है जहां खम्भे पड़े हैं और गाड़े नहीं गये हैं । अस्तु दायित्व निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद स्थित ग्राम व परगना मगलसी, तहसील व जिला फैजाबाद में हरिजन की मृत्यु

90–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित ग्राम व परगना मगलसी थाना रौनाही तहसील व जिला फैजाबाद में एक हरिजन की मौत माह अक्टूबर अथवा नवम्बर 1985 में बिजली का तार जो बिजली के खम्भे के रोकने के लिए जमीन में रोक के लिए गाड़ा जाता है, जिसमें सामान्य रूप से बिजली नहीं उतरती को छूने से हो गई, जिसके संबंध में विद्युत विभाग फैजाबाद के अधिशासी अभियंता के कार्यालय द्वारा

एक हजार रुपये हर्जाना मृतक के परिवार को जिलाधिकारी फैजाबाद को चेक भेज कर कराया गया और बाकी हर्जाना के लिए मुख्यालय विद्युत विभाग को लिखा गया ? यदि हां, तो शासन द्वारा कितनी धनराशि मृतक की वारिस को हर्जाने के रूप में दिया जा रहा है और कब तक ? हरिजन की मौत का कारण क्या था ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

शव-विच्छेदन आख्या जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, के प्राप्त होने पर क्षेत्रीय समिति अनुग्रह भुगतान हेतु अपनी संस्तुतियां परिषद् को प्रेषित करेगी तथा उनके द्वारा संस्तुत की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुए परिषद् द्वारा अनुग्रह धनराशि स्वीकृत की जायगी ।

दुर्घटना मृतक श्री संतराम द्वारा स्टे वायर छूने के कारण हुई जिसमें पी0 बी0सी0 केबिल कट जाने के कारण करेंट उतर आया था ।

91–श्री शारदा प्रताप तथा श्री योगेन्द्र कुमार–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

राजस्व परिषद् के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को स्थायी घोषित किये जाने संबंधी सरकारी नीति

92–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन वर्ष की सेवावधि पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को स्थायी घोषित किये जाने संबंधी सरकारी नीति राजस्व परिषद् के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण 15-15 वर्षों तक सेवावधि पूरी कर चुके कर्मचारी अभी तक अस्थायी बने हुये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

परिषद् कार्मिकों को सचिवालय/उच्च न्यायालय के अनुरूप वेतनमान इस शर्त के साथ स्वीकृत हुए थे कि उन्हें उनके पदों पर तब तक स्थायी नहीं किया जायगा जब तक वह लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते ।

93–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की नवीन सेवा नियमावली जो जनवरी, 1983 से जारी की गयी थी के पूर्व परिषद् कर्मचारियों के रिक्त स्थायी पदों पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों को पुरानी नियमावली के अनुसार स्थायी घोषित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उन्हें सरकारी घोषित नीति के अनुसार विलम्बतम कब तक स्थायी कर दिया जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

राजस्व परिषद् के कर्मचारियों की मांग पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-135/34/79(564)–राजस्व–6 दिनांक 20 फरवरी, 1981 द्वारा राजस्व परिषद् के विभिन्न श्रेणी के लिपिकीय पदों (टंकक के पद को छोड़कर) दिनांक 1-1-1970 से 30 अगस्त, 1975 तक की अवधि के लिए लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर निकालकर स्थायी रिक्तियों पर पदधारकों के स्थायीकरण हेतु राजस्व परिषद् को अधिकार प्रदान किए गए थे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 दिनांक 29-1-1983 को प्रख्यापित हुई है जिसके नियम 1 के उपनियम 2 के परन्तुक प्राविधान के अनुसार नियमावली दिनांक 31-8-1975 पूर्वगामी

प्रभाव से लागू की गयी । नियमावली के उक्त प्राविधान के शिथिल करने हेतु परिषद् की संस्तुति पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

जिला सहकारी बैंक, आगरा को औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्त पोषण हेतु दिया गया ऋण

94–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद को वर्ष 1985-86 में जिला सहकारी बैंक आगरा को 5 लाख रुपया क्या अवस्त्रीय औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्त पोषण ऋण उपलब्ध कराने हेतु सुरक्षित किया गया? यदि हां, तो क्या ऐसी समितियों को ऋण उपलब्ध कराने की संस्तुति सामान्य प्रबंधक उद्योग आगरा ने की थी? यदि हां, तो उक्त समितियों को ऋण न देने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ठेका श्रमिक व वाउचर प्रणाली समाप्त करके छटनी शुदा मस्टर रोल श्रमिकों से कार्य कराने के निर्देश

95–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत परिषद् के कार्यालय ज्ञाप संख्या 252/कार्मिक-9/रा0 वि0 प0-213 ए/65 दिनांक 25 फरवरी, 1981 में ठेका श्रमिक व वाउचर प्रणाली समाप्त करके छटनीशुदा मस्टर रोल श्रमिकों से कार्य कराने के निर्देश के बावजूद विद्युत वितरण एवं विद्युत भंडार गोरखपुर में ठेका प्रणाली से ही कार्य कराया गया है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या सरकार छटनीशुदा मस्टर रोल श्रमिकों से ही कार्य कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री–

परिषदादेश संख्या 252-का0-8/रा0 वि0 प0-213 ए/65, दिनांक 25-2-81 द्वारा ठेका श्रमिक (कांट्रेक्ट लेबर) प्रणाली पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। विद्युत वितरण एवं विद्युत भंडार गोरखपुर में उक्त ठेका प्रणाली कभी भी लागू नहीं रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में उक्त परिषदादेश के अनुसार पहले से ही यह आदेश है कि श्रमिकों की भर्ती आवश्यक होने पर अल्प अवधि के लिए उन छटनीशुदा मस्टर रोल श्रमिकों से ही कार्य कराया जाय जो 240 दिनों से अधिक कार्यरत रह चुके हैं ।

विद्युत भंडार गोरखपुर के छटनीशुदा मस्टर रोल श्रमिक श्री बलराम को पुनः सेवा में लिये जाने संबंधी फैसला

96–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत भंडार गोरखपुर के छटनीशुदा मस्टर रोल श्रमिक श्री बलराम को गोरखपुर लेबर कोर्ट के फैसले के अनुसार सेवा में ले लिया गया है? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार अन्य श्रमिकों को भी एरियर व नौकरी की सुविधा दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश द्वारा लेबर कोर्ट गोरखपुर के फैसले के अनुपालन पर अगले आदेश तक रोक (स्टे) लगा दी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पृथ्वीपुर ढाई, जनपद शाहजहांपुर में भूमिहीनों एवं हरिजनों को दिये गये कथित पट्टे

97—श्री उदयवीर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ग्राम पृथ्वीपुर ढाई में जो पट्टे भूमिहीनों एवं हरिजनों को 1971 में दिये गये थे उनके नाम कराकर पट्टाधारकों को भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कब्जा दिलवा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1971 में ग्राम प्रथ्वीपुर ढाई में कोई पट्टा नहीं किया गया । अतः पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आगरा जनपद के उप गांव नगला-बाड़ा की भूमि पर ग्राम प्रधान के भतीजों का अवैध कब्जा

98—श्री विजय सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के गांव बमरौली कटारा के उप गांव नगला-बाड़ा की आबादी की जिस जमीन पर ग्राम प्रधान के भतीजों ने अवैध कब्जा कर लिया है, को मुक्त कराया गया या नहीं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? क्या शासन ने इस कारण ग्राम वधान को निलम्बित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत भूमि पर जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था वे ग्राम प्रधान के खास भतीजे नहीं थे । इस भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अंतर्गत दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 को पारित आदेशानुसार मुक्त करा लिया गया है।

ग्राम प्रधान को आरोप पत्र दिया जा चुका है । प्रधान ने उत्तर दे दिया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

घाघरा व सरयू नदी की कटान से कैसरगंज व नानपारा तहसील के ग्रामों के परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने की मांग

99—श्री मयंकर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में कैसरगंज तहसील के मुरौवा मुंसारी औराही जानकी नगर, गलकारा और नानपारा तहसील के माझा दरिया बुर्द, बेला मकन, तिगड़ा गांवों की कितनी एकड़ जमीन आबादी सहित घाघरा एवं सरयू नदी में कटकर गिर गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गांवों के लोगों को स्थायी तौर पर अन्यत्र बसाने का प्रबंध करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

घाघरा नदी के कटान से ग्राम मुंसारी तहसील कैसरगंज की 227,210 एकड़ भूमि कट गई थी जिससे 22 परिवार प्रभावित हुए । इनमें से 18 परिवारों को उसी ग्राम में स्थायी रूप से और 4 को अस्थायी रूप से पुनर्वासित कर दिया गया है । अस्थायी पुनर्वासन को स्थायी में परिवर्तित करने की कार्यवाही चल रही है ।

घाघरा व सरयू नदी के कटान से तहसील नानपारा के ग्राम माझा दरियाबुर्द की 3982 एकड़, ग्राम बेला मकन की 502 एकड़ तथा ग्राम तिगड़ा की 141 एकड़ भूमि कटी है । इन ग्रामों के लोग पुनर्वासित होने के लिए सहमत नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी खेती से दूर बसना पसन्द नहीं है । सहमत होने व भूमि की अन्यत्र

उपलब्धता सुनिश्चित होने पर पुनर्वासित किया जा सकेगा ।

फखरपुर ब्लाक में स्थित दहौरा ताल की पैमाइश

100—श्री मयंकर सिंह—

क्या सरकार बहराइच जिले के फखरपुर ब्लाक में स्थित दहौरा ताल की पैमाइश कराकर डिमारकेशन करायेगी ? क्या यह भी सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह तालाब राजस्व कागजात में मत्स्य विभाग के नाम नहीं है कितना रकबा किस ग्राम सभा का इसमें शामिल है ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां, तालाब मत्स्य विभाग के नाम नहीं है ।

7 ग्राम सभाओं की भूमि इस तालाब में शामिल है जिसके विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम	नाम ग्राम सभा	दहौरा ताल में शामिल क्षेत्रफल एकड़ में
1.	राजापुर खुर्द	91.340
2.	ससना	30.100
3.	भिलोरा बासू	33.000
4.	अचोलिया	98.135
5.	सुवा गाढ़ा	21.860
6.	भिलौराकाजी	34,530
7.	वसौना	118.761
	योग..	427.732

अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ललितपुर जनपद में चकबंदी योजना लागू करने पर विचार

101—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ललितपुर जनपद में चकबंदी योजना लागू करने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो उक्त चकबंदी योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। क्षेत्र पहाड़ी एवं पथरीला होने तथा भूमि लाल मोरंग की होने के कारण जिला ललितपुर में चकबंदी योजना, अभी तक लागू नहीं की गई है ।

जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा सर्वेक्षण करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं और सर्वेक्षण में यदि चकबंदी योजना लागू करने हेतु उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध हुआ तो उस क्षेत्र में चकबंदी योजना लागू करने पर विचार किया जायेगा ।

ललितपुर जनपद की महरौनी तहसील के ग्राम खजुरिया में ग्राम समाज की भूमि को प्रधान द्वारा अवैधानिक रूप से जोते बोये जाने की शिकायत

102—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद की महरौनी तहसील के ग्राम खजुरिया में 700 एकड़ ग्राम समाज की भूमि को वहां के प्रधान द्वारा अवैधानिक रूप से जोता-बोया जाता है और वहां के गरीब हरिजनों का शोषण करते हैं तथा उन्हें भूमि के पट्टे नहीं देते ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव राज्य विद्युत परिषद् की तत्कालीन स्पोर्ट्स कमेटी वाराणसी के पी0 ओ0 द्वारा धन गबन करने का आरोप

103—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वाराणसी स्थित चीफ जोनल इंजीनियर ने अपने पत्रांक 1175 सी जेड ई0 बी (आर) जी-1, दिनांक 19 मई, 1984 द्वारा सचिव, राज्य विद्युत परिषद् की तत्कालीन स्पोर्ट्स कमेटी वाराणसी के पी0 ओ0 द्वारा परिषद् के धन गबन करने की सूचना देते हुए कार्यवाही की मांग की थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । मामले में छानबीन करने पर यह ज्ञात हुआ कि कार्मिक अधिकारी को प्राप्त 600/- रुपये का चन्दा वर्ष 1980-81 के क्रीड़ा लेखा में पूर्णरूपेण समायोजित हो चुका है तथा उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई बकाया शेष नहीं है। अतएव उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूखण्ड संख्या 3173, ग्राम ताराखुर्द, जनपद फैजाबाद पर दर्ज मुकदमा

104—श्री अकबर हुसैन बावर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूमि नम्बरी 3173 रकबा 4 बीघा स्थित ग्राम, ताराखुर्द परगना व तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद पर कोई 145 का मुकदमा चल रहा है? यदि हां, तो उस मुकदमें में कौन-कौन लोग हैं और अब तक उसमें तारीखें पड़ चुकी हैं और मुकदमें के निस्तारण में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत भूखण्ड के विषय में धारा-145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद नहीं चल रहा है।

अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

ग्राम प्रधान जलाला, जनपद फतेहपुर के विरुद्ध अवैधानिक कार्यों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच

105—श्री अचल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान जलाला, तहसील बिंदकी, जनपद फतेहपुर के विरुद्ध उनके द्वारा किये गये अवैधानिक कार्यों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच हेतु एक प्रार्थना पत्र अमर सिंह, निवासी जलाला, जनपद फतेहपुर ने दिनांक 22-2-84 को हाकिम परगना बिन्दकी को दिया था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रस्तुत चुनाव याचिका पर पारित परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 16-7-85 द्वारा उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया है।

श्री श्रीकृष्णपाल सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जिला फतेहपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

106—श्री अचल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीकृष्णपाल सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी रावतपुर परगना व तह0 बिन्दकी, जिला फतेहपुर के द्वारा किये गये अवैधानिक कार्यों के विरुद्ध एक शिकायती पत्र श्री रणधीर सिंह, निवासी जलाला, जिला फतेहपुर ने

दिनांक 21-4-84 को दिया था? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा रहुला, ब्लाक बिलग्राम, जनपद हरदोई की भूमि पर अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध जुर्माना

107–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रहुला, ब्लाक बिलग्राम, जनपद हरदोई की भूमि पर अनाधिकृत कब्जेदारों पर वर्ष 1975-76 में तहसीलदार बिलग्राम द्वारा जुर्माना किया गया था? यदि हां, तो उक्त धनराशि को ग्राम सभा में स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं? उक्त धनराशि कब तक ग्राम सभा में स्थानान्तरित कर दी जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

वसूल की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि में से संग्रह व्यय तथा संचित गांव सभा कोष के लिए देय धनराशि को काट कर शेष को गांव सभा कोष में जमा करा दिया गया है। अतः अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

108–109–श्री शूरबीर सिंह सजवाण–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम सैजनी नानकार, तहसील सदर, जनपद रामपुर में चकबन्दी अधिकारी द्वारा जमीन की नाप

110–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर तहसील सदर के चकबन्दी अधिकारी ने ग्राम सैजनी नानकाट में दिनांक 15 अप्रैल, 1982 को किन-किन व्यक्तियों की जमीन की नाप की थी तथा प्लाट नं0 367 का विवाद एवं नक्शा नं0 सी0 एच0 35 और सी0 ए0 45 गांव वालों को अभी तक नहीं दिया गया और कौन से प्लाट ऐसे हैं जिनकी जमीन कम की गयी है? क्या यह सही है कि दिनांक 10 अगस्त, 1983 को दुरुस्ती के आदेश दिये जाने के बाद भी भूमि को दुरुस्त न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम सैजनी नानकार तहसील सदर जनपद रामपुर में दिनांक 15 अप्रैल, 1982 को चकबन्दी अधिकारी ने किसी भी व्यक्ति की जमीन की नाप नहीं की। गाटा संख्या 367 के क्षेत्रफल के विवाद के संबंध में चकबन्दी अधिकारी द्वारा वाद संख्या–119/79 अन्तर्गत धारा 42–क में दिनांक 10-8-83 को आदेश पारित किया जा चुका है। यह गाटा चकबन्दी क्रियाओं से पृथक है तथा इसका आकार पत्र 35–क संबंधित खातेदार को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। इस ग्राम में चकबन्दी का सब कार्य पूरा होकर नये माल अभिलेख वर्ष 1979 में ही तैयार कर दिये गये थे। आकार पत्र 45 का उद्धरण खातेदारों को दिये जाने का प्राविधान चकबन्दी मैनुअल में दिनांक 2 फरवरी, 1980 को किया गया, इसलिये आकार पत्र 45 के उद्धरण गांव वालों को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे गाटों की संख्या 296 है जिनका क्षेत्रफल मौके की नाप के अनुसार कम किया गया है। दिनांक 10-8-83 का चकबन्दी अधिकारी का आदेश नक्शों की दुरुस्ती के संबंध में स्पष्ट न होने के कारण धारा

48(3) के अन्तर्गत संदर्भ प्रेषित किया गया जो उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश में विद्युत स्थिति के बारे में पत्र पर कृत कार्यवाही

111—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1884 दिनांक 20-5-85 जो उत्तर प्रदेश में विद्युत स्थिति के बारे में है दिनांक 20-5-85 को मिला है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है तथा उक्त पत्र के संदर्भ में, अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, किन्तु प्रश्नगत पत्र शासन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतएव माननीय सदस्य उक्त पत्र की एक प्रति कृपया उपलब्ध करा दें, ताकि मामले में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

ग्रामीण उद्योगों पर प्रति हार्स पावर के हिसाब से बिजली चार्जेज निर्धारित किये जाने की मांग

112—श्री कनक सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों तथा ग्रामीण उद्योगों को समान रूप से बिजली दी जाती है लेकिन निजी नलकूपों पर प्रति हार्स पावर रुपये 22.50 प्रति माह वसूला जाता है जबकि ग्रामीण उद्योगों पर मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली का बिल तैयार किया जाता है? यदि हां, तो इस दोहरी नीति का क्या औचित्य है? क्या सरकार निजी नलकूपों की भांति ग्रामीण उद्योगों पर भी प्रति हार्स पावर के हिसाब से बिजली चार्जेज निर्धारित करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

इसका कारण यह है कि अन्य बातों के अलावा विद्युत दर इस बात पर निर्भर करती है कि विद्युत का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 के धारा 49 में प्राविधान है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूप तथा उद्योग भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये विद्युत का प्रयोग करते हैं, अतः इनकी विद्युत दरें भी भिन्न हैं। इन दो प्रकार के उपभोक्ताओं की विद्युत दरें समान करने का कोई औचित्य नहीं है।

113—श्री शैलेन्द्र कुमार—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवाओं की समाप्ति

114—श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नवगढ़ तहसील में अपर शिक्षित लेखपाल के रूप में भगवान प्रसाद, हरिराम प्रसाद गुप्त, अदालत लाल, रामदेव, राम प्रसाद लाल, शम्भू प्रसाद, कृष्ण नारायण आभा, सावल प्रसाद, प्रह्लाद, राघव प्रसाद शुक्ल, यशोदानन्द एवं सत्य नारायण की नियुक्ति सन् 1978 एवं 1979 में हुई थी और तब से लगातार अपने हल्के पर कार्यरत हैं? क्या यह भी सही है कि दिसम्बर, 1983 तक इन लेखपालों को लगातार वेतन दिया गया किन्तु जनवरी, 1984 से वेतन देना बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो उपरोक्त लेखपालों का

बकाया वेतन तथा बोनस कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में सर्वश्री भगवान प्रसाद, हरिराम प्रसाद गुप्त, अदालत लाल, रामदेव, राम प्रसाद लाल, शम्भू प्रसाद, कृष्ण नारायन आभा, सांवल प्रसाद, प्रह्लाद प्रसाद, राघव प्रसाद शुक्ल, यशोदानन्द, सत्यनारायण की लेखपाल पद पर नियुक्ति क्रमशः दिनांक 14-7-78, 14-7-78, 10-11-78, 17-2-79, 8-2-79, 12-3-79, 22-7-80, 18-6-80, 18-6-80, 25-3-81, 9-3-79, 13-3-79 को की गई थी। इन सभी अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति में शर्त थी कि इनकी सेवायें बिना पूर्व नोटिस समाप्त की जा सकेंगी। इन सभी अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवायें परिषदादेश दिनांक 20-6-83 के अन्तर्गत जिसमें यह निर्देश थे कि अप्रशिक्षित लेखपालों को सेवा में न रखा जाये, के अनुपालन में दिनांक 11-1-84 को समाप्त कर दी गई। दिनांक 11-1-84 से उक्त लेखपाल सेवा में नहीं हैं तथा इनसे कोई कार्य भी नही लिया जा रहा है। अतः 11-1-84 के पश्चात् इन्हें वेतन एवं बोनस आदि देने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील अनूपशहर, जनपद बुलंदशहर में खाना कटेरी नामक कथित ग्राम पर अवैध कब्जा

115–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट खाना कटेरी, तहसील अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर में ग्राम सभा की 200 एकड़ भूमि पर किसी का अवैध कब्जा है? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्राप्त सूचनानुसार तहसील अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर में खाना कटेरी नामक कोई ग्राम नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय जनपदों में सहकारी निरीक्षक-वर्ग 2 के प्रशिक्षण काल के वेतन का भुगतान

116–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में कमीशन द्वारा चयनित, नयी नियुक्ति सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 को उनके प्रशिक्षण काल माह फरवरी, मार्च, 1980 के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, संबंधित सहकारी निरीक्षक वर्ग–2, के प्रशिक्षण काल के वेतन का भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0 3637/12 सी-2-27(115)/81, दिनांक 4 फरवरी, 1986 द्वारा निबन्धक सहकारी समितियां को आवश्यक स्वीकृति भेज दी गई है।

117–श्री काशी सिंह ऐरी–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद उत्तरकाशी के लिए स्वीकृत, मुख्य राजस्व लेखाकार तथा वासिल बाकी नवीस के पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव

118–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उत्तरकाशी के लिए स्वीकृत मुख्य राजस्व लेखाकार तथा चार वासिल बाकी नवीस के पदों को अब तक स्थाई नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? यह पद मूल रूप से

अस्थायी रूप में कब स्वीकृत किये गये थे? कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद के माध्यम से इन पदों के स्थायीकरण का पूर्ण प्रस्ताव दिनांक 21-1-86 को शासन में प्राप्त हुआ है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। देरी का कारण, पूर्ण प्रस्ताव का प्राप्त न होना रहा है।

2–यह पद मूल रूप में शासन के राजस्व अनुभाग–4 द्वारा दिनांक 8-3-1960 को जिला अधिष्ठान के नियमित पदों के रूप में सृजित किये गये थे। इन पदों के स्थायीकरण के संबंध में शीघ्र ही विचार करके निर्णय लिया जायगा।

ग्राम झांझोर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के श्री चेत नारायण व हौसिला प्रसाद सिंह तथा हरी सिंह पर बकाया विद्युत बिल

119–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव झझोर ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के चेत नारायण व हौसिला प्रसाद सिंह तथा हरी सिंह की आटा चक्की व पम्पिंग सेट (ट्यूबवेल) गांव चितौरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि क्रमशः 30 हजार व 20 हजार के करीब विद्युत बिल का बकाया पड़ा है? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त लोग बिना कनेक्शन लिये ही अपने घर झंझौर में बिजली अवैधानिक तौर पर खींच कर जला रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रश्नगत तीनों उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन केवल निजी नलकूप के हैं उन पर आटा चक्की नहीं चल रही है इन उपभोक्ताओं पर माह 12/85 तक बकाया एवं उसकी वसूली की कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त व्यक्ति बिना कनेक्शन लिए हुए अपने घर झांझौर में अवैधानिक तौर पर कनेक्शन चला रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 72 पर)।

120–121–श्री राम सजीवन–

[5 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

व्यवस्थापक, पंचायत उद्योग परसपर गोंडा के नाम बैंक ड्राफ्ट का भुगतान न होने का कारण

122–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-3-84 को तत्कालीन जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी गोण्डा द्वारा कु0 ऊषा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, गोण्डा के माध्यम से जो व्यवस्थापक, पचांयत उद्योग, परसपुर गोण्डा के नाम धनराशि मु0 80760/- रु0 बैंक ड्राफ्ट नं0 स0 न0 बी0 ए0 9/100-034433 दिनांक 30-3-84 बनवाया गया था, उसका भुगतान अब तक किन परिस्थितियों में नहीं हो सका? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत उद्योग अब तक इसे लेने के लिए अपने को दावेदार क्यों नहीं घोषित कर सका है? बगैर सामान सप्लाई के ही यह बैंक ड्राफ्ट कैसे और किस उद्देश्य से बनाया गया था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। सन्दर्भित बैंक ड्राफ्ट का भुगतान पंचायत उद्योग को सामानों की आपूर्ति न करने के कारण नहीं हो सका है।

चूंकि व्यवस्थापक, पंचायत उद्योग ने सामानों (साज सज्जा) की आपूर्ति नहीं की। अतः वे बैंक ड्राफ्ट का भुगतान प्राप्त करने के दावेदार नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष (1983-84) में पंचायत उद्योग द्वारा प्रश्नगत सामानों की आपूर्ति करनी थी। इसी प्रत्याशा में कथित धनराशि वित्तीय वर्ष (1983-84) में व्यय हेतु आहरित कर ली गयी।

राजकीय शिशु सदन, जौनपुर में अधीक्षिका द्वारा बालक राजू को पीटे जाने की शिकायत

123—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की राजकीय शिशु सदन की अधीक्षिका द्वारा बालक राजू को दिनांक 29-8-85 को बुरी तरह से पीटे जाने से भाग गया था, जो दिनांक 10-11-85 को काफी खोजबीन के बाद मिला? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा उसकी जांच करा कर, दोषी अधीक्षिका के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय शिशु सदन जौनपुर में राजू उर्फ राजेश (न कि राजीव) नामक संवासी दिनांक 29-8-85 को शिशु सदन से पलायित हो गया था जो पुलिस के सहयोग से दिनांक 11 नवम्बर, 1985 को बरामद किया गया।

यह बात असत्य है कि शिशु सदन की अधीक्षिका द्वारा पीटे जाने से उक्त बालक भाग गया था। इसलिये अधीक्षिका के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त संचालक चकबन्दी तथा सहायक संचालक चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन निगरानियां

124—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त चकबन्दी संचालक बस्ती तथा उप चकबन्दी संचालक बस्ती के प्रत्येक न्यायालय में कितने मुकदमें नवम्बर, 1985 तक विचाराधीन हैं, उनमें से कितने ऐसे मुकदमें हैं जो दो वर्ष से अधिक के हैं, कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनमें मिसिल न आने के कारण एक वर्ष से अधिक से केवल तारीखें पड़ती हैं? क्या शासन विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माह नवम्बर, 1985 में जिला बस्ती में, संयुक्त संचालक चकबन्दी के न्यायालय में 1213 तथा सहायक संचालक चकबन्दी के न्यायालय में 442 (कुल 1655) निगरानियां विचाराधीन थीं।

संयुक्त संचालक चकबन्दी के न्यायालय में 29 तथा सहायक संचालक चकबन्दी के न्यायालय में 169 (कुल 198) निगरानियां 2 वर्ष से अधिक की थीं। इन 198 निगरानियों में से 86 निगरानियों का निस्तारण सहायक संचालक चकबन्दी द्वारा माह दिसम्बर, 1985 तथा जनवरी 1986 में किया गया। इस समय दो वर्ष से अधिक की कुल 112 निगरानियां विचाराधीन हैं।

माह नवम्बर, 1985 में कुल 56 मुकदमें ऐसे थे जिनमें मिसलें न आने के कारण तारीखें पड़ती रही हैं। इनमें

से 29 पत्रावलियां अब प्राप्त हो गई हैं तथा 27 पत्रावलियां प्राप्त होना शेष हैं।

जिला बस्ती में बन्दोबस्त अधिकारी तथा डुमरियागंज के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

125—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में बन्दोबस्त अधिकारी बस्ती तथा डुमरियागंज के न्यायालय में कुल कितने मुकदमें नवम्बर, 1985 को विचाराधीन हैं? क्या यह सही है कि दो-दो, तीन-तीन वर्ष के मुकदमें विचाराधीन हैं? निर्णय नहीं हो रहे हैं? इसका क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला बस्ती में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सदर के न्यायालय में 1995 तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी डुमरियागंज के न्यायालय में कुल 1259 अपीलें माह नवम्बर, 1985 में विचाराधीन थीं।

सदर इकाई में 190 अपीलें 2 वर्ष तथा 127 अपीलें 3 वर्ष से अधिक की थीं।

डुमरियागंज इकाई में 40 अपीलें 2 वर्ष तथा 6 अपीलें 3 वर्ष से अधिक पुरानी थीं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों, लक्ष्य में रखे गये ग्रामों की अपीलों का प्राथमिकता से निस्तारण किये जाने, वकीलों द्वारा बार-बार तारीखें लिये जाने तथा अंतिम आदेशों के विरुद्ध निगरानियां दायर किये जाने के कारण, उक्त अपीलें लम्बित रही हैं।

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल, फैजाबाद से सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता का स्वीकृत पद

126—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय फैजाबाद में एक ही पद सम्बद्ध करने का है? यदि हां, तो दो अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता के फैजाबाद के कार्यालय में क्यों सम्बद्ध करके नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, फैजाबाद से सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता का एक ही पद स्वीकृत है जिस पर श्री चन्द्र मोहन पुन्हानी, अधिशासी अभियन्ता नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल, फैजाबाद के कार्यालय में श्री तरसेम लाल जैन, अधिशासी अभियन्ता की परिषद् के एक अन्यत्र स्वीकृत पद के विरुद्ध तैनाती की गयी है तथा उसे अधीक्षण अभियन्ता से सम्बद्ध कर दिया गया है। श्री जैन की तैनाती जनहित एवं परिषदीय कार्य के हित को ध्यान में रखते हुए की गयी है।

127—श्री राम बदन एडवोकेट—

[तीसरे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के चकबन्दी विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश

128—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बुलन्दशहर में चकबन्दी विभाग में जुलाई, 84

में ओवर स्ट्रेन्थ की बिना चार क्लर्कों को हटा दिया गया था? क्या मंत्री जी को पता है कि उनमें एक क्लर्क ऐसा भी हटाया गया जिसकी नियुक्ति मृताश्रित होने के नाते की गयी थी? यदि हां, तो क्या उसे पुनः सेवा में लेने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

हटाये गये मृताश्रित को लेखपाल, लिपिक, जो भी पद रिक्त हो, उस पर तत्काल नियुक्त किये जाने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बुलन्दशहर को निर्देश दे दिये गये हैं।

उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 की सीतापुर शाखा में गबन की जांच

129–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष (सहकारी वर्ष) 1984-85 के दौरान उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 की शाखा सीतापुर में कितनी धनराशि के गबन का मामला प्रकाश में आया? विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस में क्या प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी और दोषी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो मामले की वास्तविकता क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि जमा करवानी अब भी शेष है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सहकारी वर्ष 1984-85 में उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 की सीतापुर शाखा में रु0 70,046.00 के गबन का मामला प्रकाश में आया। पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। तत्कालीन शाखा प्रबन्धक को निलम्बित तथा दोषी कर्मचारी को प्रत्यावर्तित व कार्यमुक्त कर दिया गया है।

सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा हैण्डलूम के कपड़े की 31 गांठें स्टाक रजिस्टर से खारिज कर रु0 70,046.00 का अपहरण किया गया था। इस सम्बन्ध में रु0 33,457.60 की धनराशि जमा करवानी अब भी शेष है।

थाना जीयनपुर में कार्यरत हेड क्लर्क मो0 शमीम खां का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण न होने का कारण

130–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बतायेंगे कि हेड क्लर्क मो0 शमीम खां अ0 सं0 9/84 थाना जीयनपुर में कार्यरत हेड क्लर्क मो0 शमीम खां इस कार्यालय में कितने दिन से कार्यरत हैं अब तक इनका स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री मोहम्मद शमीम खां, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में 27-7-81 से कार्यरत हैं। शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार लिपिक वर्ग के कर्मचारी को सामान्यतः पांच साल तक स्थानान्तरित नहीं किया जाता।

131–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[चौथे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री पारसनाथ तिवारी, दैनिक श्रेणी लिपिक को पुनः सेवा में वापस लिया जाना तथा बकाया वेतन के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही

132–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पारस नाथ तिवारी दैनिक

श्रेणी लिपिक, कार्यालय मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, लखनऊ जोन को सेवा में दिनांक 12-10-84 से वापस ले लिया गया है? क्या यह सच है कि इनके 50 प्रतिशत बकाया वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है ? क्या मंत्री जी एक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए तथा भारत सरकार के औद्योगिक संशोधन विधेयक, 1982 के अनुपालन में पूर्ण बकाया वेतन भुगतान कराने का अपने स्तर से आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्री पारस नाथ तिवारी की दिनांक 11-4-80 से सेवा समाप्ति का मामला श्रम न्यायालय, लखनऊ के समक्ष उठाया गया था । इस वाद में माननीय श्रम न्यायालय ने सेवा समाप्ति अनुचित ठहराई तथा उनकी सेवा में पुराने वेतन सहित पुनर्स्थापना का निर्णय दिया। उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी परन्तु परिषद की याचिका निरस्त हो गई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष परिषद की अपील विचाराधीन है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14-8-84 को एक अंतरिम आदेश दिया जिसके अंतर्गत पिछला आधा वेतन सम्बन्धित कर्मचारी को दिया जाना था तथा आगे आधा वेतन प्रतिमाह देना था। परिषद ने इस आदेश के पालन के साथ कर्मचारी के हित में यह भी निर्णय लिया कि श्री तिवारी को सेवा में योगदान करा लिया जाय तथा उनको आधे के स्थान पर पूरा वेतन प्रतिमाह दिया जाय । तदनुसार श्री तिवारी को सेवा में ज्वायन करा लिया गया है और योगदान की तिथि से उन्हें पूरा वेतन दिया जा रहा है ।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय हो जाने के उपरान्त तद्नुसार यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

गांव महरुपुर, जनपद बाराबंकी में किसानों के खेतों की निशान देही

133–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सितम्बर 85 की बाढ़ में जनपद बाराबंकी तहसील रामसनेही घाट, प0 सूरजपुर के गांव महरुपुर की लगभग दो हजार बीघा भूमि गोमती नदी की बाढ़ की चपेट में आ गयी थी जिसके कारण खेतों की मेड़ें समाप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या तहसील द्वारा किसानों के खेतों की निशानदेही करा दी गयी है? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं । कहीं-कहीं पर मेड़ों के कुछ निशान पानी के बहाव से मिट गये थे, उनकी निशानदेही भू-लेख निरीक्षक, सूरजपुर द्वारा करायी जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के सिद्धौर ब्लाक में बाल विकास परियोजना में अनियमिततायें तथा विकास खण्डों में योजना का क्रियान्वयन तथा व्यय

134–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के सिद्धौर ब्लाक में चलने वाली आंगन बाड़ी योजना में बड़े पैमाने पर अनियमिततायें पकड़ी गयी है ? यदि हां, तो अनियमिततायें क्या हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

बाल विकास परियोजना सिद्धौर में

भारी मात्रा में अनावश्यक रूप से पुष्टाहार क्रय करने, कुछ फर्जी वितरण के मामले प्रकाश में आये हैं जिसके लिये दो बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं एक स्टोर लिपिक को जांच कर आरोपित किया गया है तथा एक स्टोर बाबू को निलंबित किया गया है ।

135—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 84-85 में किन-किन विकास खण्डों में आंगन बाड़ी योजना चलायी गयी ? उनके अंतर्गत क्या-क्या कार्य किये गये और प्रत्येक योजना पर अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद बाराबंकी में वर्ष 84-85 में तीन विकास खण्डों में क्रमशः सिद्धौर रामनगर, तथा बनीकोडर में आंगनबाड़ी योजना चलाई गई । इस योजना के अंतर्गत पुष्टाहार, अनौपचारिक शिक्षा स्वस्थ्य प्रतिरक्षण तथा निर्देशन सेवायें प्रदान की गई । बाल विकास परियोजना रामनगर में वर्ष 84-85 में रु0 5,03,815.00 बनीकोडर में रु0 4,84,644.19 पैसे तथा सिद्धौर में रु0 8,16,864.00 व्यय किये गये ।

जनपद बाराबंकी में संचालित भिक्षुक गृह

136—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में कितने भिक्षुक गृह हैं और वह कहां-कहां पर स्थित हैं ? इनमें इस समय कितने भिक्षुक रहते हैं और प्रति माह इन पर कितना धन खर्च किया जाता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद बाराबंकी में इस विभाग द्वारा कहीं पर कोई भिक्षुक गृह संचालित नहीं है अतः भिक्षुकों के रहने एवं इन पर व्यय होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर व निन्दुरा के गावों को दिया गया विद्युत कनेक्शन

137—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर व निन्दुरा के क्षेत्र में सन् 1972 में भटहा विलौली से चन्दौली तक 11 के0 वी0 की लाइन लम्बाई 9 कि0 मी0 बनाई गयी थीं ? क्या यह सही है कि यह लाइन डिसमेन्टल कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त लाइन से सम्बन्धित किन-किन गांवों के लोगों ने कनेक्शन हेतु पैसा जमा किया था ? क्या इस लाइन से संबंधित किन-किन गांवों को कनेक्शन दिया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

साधन सहकारी समिति लि0, आलमपुर, जाफराबाद, जिला बरेली द्वारा खाद का वितरण तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को छूट का अनुदान

138—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति आलमपुर जाफराबाद जिला बरेली में 1 जून, 1985 से 30 जून, 1985 तक कुल 41000 रु0 की खाद वितरित की गयी और इस लघु तथा सीमान्त कृषकों के लिए छूट का अनुदान जो इस धनराशि पर अधिकतम 33 प्रतिशत हो सकता था, 175 प्रतिशत अर्थात् रुपये 72000/- प्राप्त किया गया? यदि हां, तो कैसे? क्या मंत्री जी

उक्त प्रकरण में राजकीय धन के व्यपहरण करने के लिये दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने तथा फौजदारी कानून की संगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश अविलम्ब देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

साधन सहकारी समिति लि0 आलमपुर जाफराबाद, जिला बरेली द्वारा 1 जून 1985 से 30 जून 1985 तक कोई अंश-ख ऋण का वितरण नहीं किया गया और न ही कोई अनुदान प्राप्त किया गया परन्तु वित्तीय वर्ष 84-85 में समिति द्वारा रु0 41,223.00 का अंश ख ऋण वितरित किया गया तथा समिति ने रु0 72, 320.00 का अनुदान प्राप्त किया।

समिति द्वारा गलत बिल प्रस्तुत करके रु0 69, 188.00 का अधिक अनुदान प्राप्त किया गया, जिसमें से रु0 17, 880.00 जिला कृषि अधिकारी, बरेली को वापस कर दिया गया है।

अवशेष धनराशि की वापसी के लिए कार्यवाही की जा रही है। सचिव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है और उसको निलम्बित कर दिया गया है।

जनपद लखनऊ में बाढ़ से संबंधित राहत कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल व्यय धनराशि

139—श्री शारदा प्रताप—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में सितम्बर, 1985 में बाढ़ से संबंधित राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 85 के अंत तक कुल कितना धनराशि खर्च की गयी? जनपद लखनऊ में प्रति विकास खण्ड, प्रति तहसील तथा प्रति परगना के हिसाब से कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा इस बाढ़ राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन मदों पर कितना व्यय किया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सितम्बर, 1958 में बाढ़ से संबंधित राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 18,331,241.40 रु0 की धनराशि दिनांक 31-12-85 तक व्यय की गई। जनपद लखनऊ में प्रति विकास खण्ड, प्रति परगना-प्रति तहसील के हिसाब से व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न है। इस बाढ़ राहत कार्य के अंतर्गत जनपद में अहेतुक सहायता (जिसमें खाद्य सामग्री, वस्त्र भी शामिल है), गृह अनुदान, मृतक परिवार के अनुग्रह तथा विशेष सहायता मद, पेट्रोल/नाव/ट्रक आदि पर व्यय मद में क्रमशः रु0 2,054,713.04, रु0 14,237,100.00, रु0 84,000. तथा रु0 1,955,428,36 व्यय किया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 73 पर)

प्रदेश में लोहार, बढ़ई, विश्वकर्मा जाति के लोगों का पुस्तैनी पेशा

140—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में लोहार, बढ़ई, विश्वकर्मा जाति के लोगों का पुस्तैनी पेशा क्या है? क्या सरकार उनके पेशे के मुताबिक अभियंत्रण विभाग के प्रशिक्षण या पदों के मामले में उन्हें वरीयता देने पर विचार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। लोहार जाति का पुस्तैनी पेशा लोहारगीरी तथा बढ़ई जाति का पुस्तैनी पेशा बढ़ईगीरी है। विश्वकर्मा जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

विमुक्त जाति तथा पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित नहीं है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी एवं सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं में पिछड़े वर्ग की जातियों के लिये 15 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित है तथा शासकीय सेवाओं में राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश संख्या-2003/चालीस/रा0 एकी0-6-11-77, दिनांक 20-8-77 के अनुसार वर्ग 1, 2, 3, में 15 प्रतिशत तथा वर्ग-4 में 10 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित है।

ग्राम चौधरीडीह, तहसील बलरामपुर, जनपद गोंडा में चकबंदी विभाग द्वारा बरती गयी अनियमितताओं संबंधी शिकायती पत्र

141—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चौधरीडीह, प0 तुलसीपुर, त0 बलरामपुर, जनपद गोंडा में चकबन्दी विभाग द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 9-9-85 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र पर जांच के निर्देश उप संचालक चकबंदी (प्रशासनिक) तथा जिलाधिकारी/उप संचालक चकबंदी गोण्डा को दिये गये थे परन्तु जिलाधिकारी गोंडा के अनुरोध पर शिकायती पत्र पर जांच करने के आदेश जोनल उप संचालक चकबंदी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिये गये हैं ।

जनपद मुजफ्फरनगर के खांडसारी उद्योग बावरी द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा

142—श्री अमीर आलम खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर स्थित बावरी खांडसारी उद्योग बावरी ने ग्राम सभा बावरी की भूमि पर अवैधानिक तरीके से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं,

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी निवासी ब्लाक भटहट, जिला गोरखपुर के विरुद्ध, ईंट जबरन उठा ले जाने से सम्बन्धित शिकायती पत्र

143—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री कमला प्रसाद, प्रधान ग्राम सभा परशुरामपुर, ब्लाक भटहट, जिला गोरखपुर व उसी गांव के अन्य ग्रामवासियों के हस्ताक्षरयुक्त कोई शिकायती पत्र उसी गांव के श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी उर्फ विभूति त्रिपाठी पुत्र श्री ब्रह्मदेव त्रिपाठी के विरुद्ध उनके द्वारा ग्राम सभा की 65000 ईंट जबरन उठा ले जाने से सम्बन्धित शिकायती पत्र को संलग्न करते हुए श्री मिठाई लाल गुप्त, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (जे) गोरखपुर ने उचित कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 6-4-85 को कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। इस मामले में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा जांच करायी गयी, जिससे विदित हुआ कि लगभग 5-6 हजार ईंट श्री विभूति मणि त्रिपाठी ने ले ली थीं जिसे अब बरामद कर लिया गया है तथा इस विषय में कोई विवाद नहीं है।

ग्राम सभा दयालपुर, जिला उन्नाव में तालाबों की कथित नीलामी, ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

144—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा दयालपुर, परगना गोहान जिला उन्नाव में विगत 3 वर्षों में तालाबों की नीलामी से प्राप्त कितनी धनराशि को सरकारी कोष में जमा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत अवधि में कोई धनराशि सरकारी कोष में नहीं जमा की गई है। क्योंकि इस अवधि में इस गांव सभा में किसी तालाब का नीलाम नहीं किया गया है।

145—श्री सरदार सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तालाबों की नीलामी से ज्यादा धनराशि प्राप्त कर कम धनराशि की रसीदें संबंधित व्यक्तियों को दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

नीलामी से ज्यादा धनराशि प्राप्त कर कम धनराशि की रसीदें सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं दी गयी हैं जिसके कारण प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

शराफत अली तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की कमिश्नर फैजाबाद के कार्यालय में विचाराधीन अपील व उसका निस्तारण

146—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शराफत अली चेनमैन, क्षेत्र जैटपुर तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की अपील दिनांक 5-6-79 तथा दिनांक 12-11-83 कमिश्नर फैजाबाद मंडल के यहां पर अभी तक विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त अपीलों को इतने लम्बे समय तक उनके निस्तारण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

आयुक्त कार्यालय में ऐसी कोई अपील प्राप्त नहीं हुई।

147—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शराफत अली, चेनमैन तहसील नवाबगंज बाराबंकी की प्रथम अपील दि0 5-6-79 तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी के तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो श्री नियाज अहमद ने प्राप्त की थी और दूसरी अपील दिनांक 12-11-83 रजिस्टर्ड पत्र द्वारा कमिश्नर महोदय, फैजाबाद मंडल को भेजी गयी थी, कमिश्नर महोदय को प्राप्त हुई है? क्या यह भी सही है कि उक्त शराफत अली ने कई रिमाइन्डर भी उचित माध्यम से कमिश्नर फैजाबाद को भेजे हैं? यदि हां, तो अपीलों के निस्तारण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। ऐसी कोई अपील प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

आर0 ई0 सी0 योजना के अन्तर्गत मीरगंज व शेरगढ़ ब्लाक के बचे हुये ग्रामों का विद्युतीकरण

148—श्री जयदीप सिंह बरार—

द्वितीय सत्र 85 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 99 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की

कृपा करेंगे कि बचे हुए ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु योजना में क्या कोई निश्चित समय दिया गया है? यदि हां, तो वह समय क्या है?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। आर0 ई0 सी0 योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु जनवरी, 1986 तक मीरगंज ब्लाक में 3 ग्राम तथा शेरगढ़ ब्लाक में 48 ग्राम शेष बचे हैं। जिनमें से मीरगंज ब्लाक के उक्त तीनों ग्राम वर्ष 1986-87 में विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे तथा शेरगढ़ ब्लाक के 7 ग्रामों का विद्युतीकरण का लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष में है। शेरगढ़ ब्लाक के शेष बचे हुए ग्रामों का विद्युतीकरण अगले 3 वर्षों में (योजना अवधि में) कर दिया जायेगा।

149–श्री विष्णु दत्त–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला आजमगढ़ की तहसील घोसी के ग्रामों का विद्युतीकरण

150–श्री विष्णु दत्त–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ की तहसील घोसी के किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा किन-किन ग्रामों में पूरा होना शेष है? कब तक अधूरा कार्य पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जिला आजमगढ़ की तहसील घोसी में कुल 755 गांव हैं, जिनमें से दिनांक 31-1-1986 तक 508 गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। शेष 247 गांवों का विद्युतीकरण प्रदेश के अन्य गावों के साथ वर्ष 1995 तक पूर्ण होने की संभावना है। उपरोक्त विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत गांवों की सूची उपलब्ध कराना सुलभ नहीं है। यदि मा0 सदस्य देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे कार्यालय में देख लें।

ग्राम कबलपुरा (कुंवर पुरवा) जनपद आजमगढ़ में चकबंदी योजना लागू करने पर विचार

151–श्री विष्णु दत्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कबलपुरा (कुंवर पुरवा) जनपद आजमगढ़ में बांध के उत्तर करीब 400 एकड़ भूमि चकबंदी कराये जाने के संबंध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 15-5-85 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

उक्त पत्र पर जांच कराई गई। जिलाधिकारी आजमगढ़ की आख्या के अनुसार ग्राम कबलपुरा (कुंवरपुरवा) चकबंदी योग्य है।

उक्त ग्राम में अभिलेख प्रक्रियायें चल रही हैं जिनके समाप्त होने पर ही ग्राम में चकबंदी योजना लागू करने पर विचार किया जा सकेगा।

निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित पत्र पर जांच

152–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक वि0 प0-3/26-1-85-9 (6)/85 दिनांक 23-3-85, पत्रांक 3540/26-1-85-9 (312)/80, दिनांक 5-8-1985, पत्रांक 3047/26-1-85-9 (312)/80 दिनांक 6-6-1985 तथा पत्रांक एम0 एल0 सी0 411/26-1-85-9 (6)/80 दिनांक 11-6-85 जो निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को

सम्बोधित है तथा श्री धनीराम सिंह नेगी, एम0 एल0 सी0 को पृष्ठांकित है, की जांच आख्या शासन को प्रेषित कर दी गई है? यदि हां, तो जांच आख्या की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए बतायेंगे कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूपी कुमारी बख्शी–

जी हां। प्रश्न में सन्दर्भित शासन के पत्रों के सन्दर्भ में अपर निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण की जांच आख्या दिनांक 18-7-1986 शासन को प्राप्त हुई थी।

जांच आख्या की एक प्रति मा0 सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच के परिणाम स्वरूप संस्था के पूर्व प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ लिपिक, भण्डार लिपिक, अध्यापक व सहायक अध्यापक, गृहमाता, कम्पाउंडर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोषी पाये गये। शासन ने प्रकाश में आई अनियमितताओं को दृष्टिगत करते हुए विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण को निरस्त करके जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी श्री के0 सी0 धीर को दिनांक 9-8-1985 के आदेश द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 30 मिनट पर सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 1986 अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
21 फरवरी, 1986

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए अता0प्र0सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

जनपद—गाजीपुर

सूची–1

वर्ष 1985 में मंगई नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सूची जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी। तहसील मुहम्मदाबाद।

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रम सं0	नाम ग्राम
1	2	1	2
1	सोनबरसा	24	चक कलि
2	जानूपुर	25	चक जैनब
3	बरार	26	चक सिकन्दर तातार उर्फ चकिया
4	नसरतपुर	27	चकजलाल कुवारी उर्फ मोहनपुर
5	महेशपुर	28	सुखपुरा
6	खिरिजपुर	29	कुवाड़ी
7	मानिक चन्दपुर	30	प्रतापपुर
8	दवन सिलाइच	31	टोडरपुर
9	सिचलाईच	32	चक फरीद बरेजी
10	मुबारकपुर	33	जलालपुर मोहम्मद सोना
11	हसनपुर	34	क्यामपुर
12	खेमपुर	35	मुस्तफाबाद
13	चकनन्द	36	खेमपुर
14	चकइनायत	37	चक खेरुल्लाह
15	जोतपुर	38	निजामपुर
16	मौना	39	नूरपुर
17	बमरौराचक	40	रायपुर हृदय राय
18	शहाबपुर	41	चम्पापुर सिहमोहन
19	माला	42	चम्पापुर चकदामन
20	रसूलपुर हबीबुल्ला	43	ताल गोड़उर
21	बलुवा म0 नोनहरा	44	नरसिंहपुर
22	पहाड़ीपुर	45	रायपुर विशम्भर पुर
23	बरेजी		

उत्तर प्रदेश गजट

जनपद गाजीपुर

सूची द्वितीय

वर्ष 1985 में मंगई नदी के बाढ़ में लगाई गयी नावों का विवरण

क्रम सं0	मंगई नदी के बाढ़ में लगाई गई नावों के ग्राम	नाव की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1	सोनवरसा	2	
2	सम्मनपुर	1	
3	भुखपुरा	1	
4	सौना (मठिया)	2	
5	कायमपुर	1	
6	रसूलपुर	1	
7	कमरौरचक	1	
8	नसरतपुर	1	
9	करीमुद्दीनपुर	1	
10	महेन	4	
11	लठडीह	2	
	योग ..	17	

जनपद गाजीपुर

सूची–3

वर्ष 1985 में मंगई नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में गल्ला वितरण की सूची—
तहसील मोहम्मदाबाद

क्रम-सं0	मंगई नदी से बाढ़ से प्रभावित वितरित सामग्री के गांव	परिवार संख्या	गेहूं	नमक किलो0	दियासलाई	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6	7
1	नसरतपुर	100	10– 0– 0	1– 0– 0	100 100	लीटर
2	मानिकपुर	60	6– 0– 0	0–50– 0	60 60	,,
3	खेमपुर	65	6–50– 0	0–50– 0	65 65	,,
4	सिलाइच	190	11–30–500	1–50– 0	190 190	,,
5	सौना	28	2–80–0	0–28– 0	28 28	,,
6	कमरौराचक	160	16–0–0	1–60– 0	160 160	,,
7	रसुलपुर हबीबुल्ला	275	27–50– 0	2–75– 0	275 275	,,
8	सोनबरसा	170	17– 0– 0	1–70– 0	170 170	,,
9	मुबारकपुर जुगुनू	210	21– 0– 0	2–10– 0	210 210	,,
10	बरार	175	16–50– 0	1–75– 0	175 175	,,
11	जाजपुर	225	22–50– 0	2–25– 0	225 225	,,
12	रसूलपुर	70	7– 0– 0	0–70– 0	70 70	,,
	योग	1728	165-10-500	16-63- 0	1728 1728	,,

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0-53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

विकास खण्ड देवा से सम्बन्धित ग्रामों की सूची

1--पहाड़पुर कुतलुपुर
2--पीरानगर उमरपुर
3--इब्राहीमपुर खुर्द
4--कुम्हारपुर
5--खेरिया
6--रहीमाबाद
7--खनवाहाह
8--बेहटा चक जयराम दास
9--उखड़ी
10--दाउदपुर
11--लालपुर
12--देरा कलां
13--हर्रई
14--महमूदाबाद
15--रसूनपुर दरगाह
16--सिकन्दरपुर
17--उमरपुर
18--पौण्ड
19--हाजी काजीपुर
20--कायमपुर
21--मुरतजा नगर
22--इब्राहीमपुर कलां
23--कैमई
24--सितवारा
25--मोहनपुर
26--धर्मपुर
27--टेराखुर्द
28--भिजानगर बेहटई
29--फतेहपुर खाती बहार
30--खिजिरपुर इनायतपुर
31--गोदहा
32--देवगांव
33--सालेनगर
34--कुरखिला
35--खरेहटा
36--हीरपुर
37--सिपहिया
38--गंगवारा
39--तासपुर
40--मिटोली खुर्द
41--रीवां
42--मंडौरा
43--मुरादपुर
44--जसनवारा
45--कोटवा कलां
46--बीकर
47--कोंडरी
48--सरसौंदी
49--मुजपपरमऊ
50--नरसिंगमऊ
51--जमुवासी
52--सेहारा
53--डौडिहारा
54--मियांपुर
55--जबरी खुर्द
56--टिकरिया
57--नईमऊ
58--जबरी कलां
59--तिन्दौला
60--घोरमऊ
61--माधीपुर
62--पवैयावीरान
63--बबुरागांव
64--घरसेंडा
65--चक करीमाबाद
66--घरसण्डा
67--इनायतपुर
68--कैमा
69--कोना गांव
70--हुसेनमऊ
71--शरीफाबाद
72--गोरिया
73--सरैया
74--चन्दौली
75--सिघवाही
76--टीपहार
77--जिन्सी खनवार
78--रामपुर
79--बरैठी
80--केसरवा

81—कैथी
82—मुस्तफाबाद देशी
83—गनौरा
84—खण्डरो
85—खजूर गांव
86—खण्डारी
87—मुरादाबाद
88—मीरपुर
89—खेवली
90—शाहपुर
91—टाइकलां
92—टाईखुर्द
93—उमरी
94—करंजवारा
95—मंहरोड

विकास खण्ड बंकी से सम्बन्धित ग्रामों की सूची

1—बडेल
2—कोठीडीह
3—सेहलिया
4—दाउदपुर
5—दारापुर
6—ओवरी
7—मनेरा
8—सराय अकबराबाद
9—जफरपुर
10—जिन्होली
11—बाराबंकी
12—मिटोरा
13—जाटा
14—बरोली
15—सिन्धवानी
16—डल्लूखेरा
17—छेदानगर
18—उरगदिया
19—माती
20—रुदुआ पल्हरी
21—बस्ती
22—मूडेरा
23—पलिया मसूदपुर
24—बिछलगा
25—औरंगाबाद
26—नगर
27—खासपरिया
28 खमरिया
29—रामपुर जोगा
30—अनखा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिए अता0प्र0सं0-73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

उपभोक्ताओं पर विद्युत बकाए एवं वसूली का विवरण

	उपभोक्ता का नाम	बकाया धनराशि	वसूली की कार्यवाही
	1	2	3
1	श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री प्रेमशंकर सिंह, जगविदित सिंह, भानपुर मरमथा, वाराणसी।	7273.55	विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
2	श्री रामधनी सिंह पुत्र श्री फुलगेन सिंह, भानुपुर, वाराणसी।	40347.91	वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
3	श्री शिवशंकर सिंह पुत्र श्री सदाफल सिंह] मानपुर, मरमथा, वाराणसी।	[8929.67	विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
4	श्री वंश नारायण सिंह पुत्र] श्री मारकन्डे सिंह, मानपुर, मरमथा, वाराणसी।	[5171.15	विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।]
5	श्री विभुति नारायण सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, मानपुर, मरमथा, वाराणसी।	[18752.91	विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
6	श्री राम निरंजन, मरमथा, वाराणसी।]	13244.06	विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
7	श्री वंशगोपाल सिंह पुत्र श्री दशरथ,] मानुपुर, मरमथा, वाराणसी।	9331.55	विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
8	श्री रूप नारायण सिंह पुत्र श्री राज नारायण सिंह, मानपुर, मरमथा, वाराणसी।	11092.77	विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
	श्री हरिशंकर सिंह पुत्र फूलमेन सिंह, मानपुर, मरमथा, वाराणसी।	11076.20	विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
10	श्री रामआधार शास्त्री पुत्र श्री शिव नाथ, रमईपुर पिण्डरा, वाराणसी।	7031.60	विद्युत विच्छेद कर वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया है।

नत्थी "घ"

(देखिए अता0प्र0सं0-86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

निबन्धक, सहकारी समितियों की सूची जो वर्ष 1966-67 से जून, 85 तक पदासीन हुए।

		योगदान की तिथि
1--श्री जी0 एस0 चूड़ामणि	..	30-5-65
2--श्री ए0 पी0 सिंह	..	20-5-67
3--श्री एस0 एम0 मुशफिक	..	7-1-70
4--श्री एम0 एस0 हक	..	12-10-70
5--श्री एस0 बी0 सरन	..	10-2-71
6--श्री जे0 पी0 सिंह	..	11-12-73
7--श्री नृपेन्द्र मिश्रा	..	17-5-76
8--श्री रोशन लाल	..	28-3-78
9--श्री वी0 के0 मित्तल	..	7-4-79
10--श्री आर0 एस0 माथुर	..	18-4-80
11--श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय	..	19-6-81
12--श्री आर0 एस0 टोलिया	..	7-2-83
13--श्री राय सिंह	..	13-1-84
14--श्री बी0 बी0 सिन्हा	..	19-5-84
15--श्री वी0 के0 मित्तल	..	21-5-85

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0–119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

उपभोक्ता पर माह 12/85 तक बकाया एवं उसकी वसूली की कार्यवाही का विवरण

क्रम-सं0	उपभोक्ता का नाम व पता	बकाए की धनराशि	वसूली की कार्यवाही
1	2	3	4
1	चेत नारायण सिंह पुत्र श्री मथुरा सिंह, ग्राम झांझोर, राजपुर, वाराणसी	21,093.96	3-2-85 को विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है।
2	श्री हौसला प्रसाद सिंह पुत्र श्री निरंगन, ग्राम झंझोर, वाराणसी	29,919.93	3-2-85 को विद्युत विच्छेदन कर वसूली प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है।
3	श्री हरिनाथ सिंह पुत्र श्री सरजू सिंह, ग्राम चितौरा, वाराणसी।	24,221.65	स्थायी विच्छेदन करके वसूली प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "च"

(देखिए अता0प्र0सं0–139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

जनपद लखनऊ में राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि का विवरण

विवरण	गृह अनुदान	मृतक परिवार को	विशेष सहायता पेट्रोल/नाव/ट्रक आदि का व्यय	अहेतुक सहायता
	रु0	रु0	रु0	रु0
1	2	3	4	5
1—तहसील मलिहाबाद ..	67,05,200	21,000	99,499.20	1358744.82
2—परगना मलिहाबाद ..	22,05,500	2,000	..	623520.32
3—महोना ..	44,99,800	19,000	..	735224.50
4—ब्लाक–1 मलिहाबाद ..	13,95,200	1,000	..	313310.32
5—माल ..	8,10,200	1,000	..	310210.00
6—बख्शी का तालाब ..	44,99,800	19,000	..	735224.50
7—तहसील लखनऊ ..	48,79,100	58,000	1757050.00	412553.25
8—परगना लखनऊ ..	17,83,600	3,6000	..	215425.00
9—परगना काकोरी ..	19,20,800	16,000	..	99059.00
10—परगना बिजनौर ..	11,74,700	6,000	..	98069.25
11—ब्लाक काकोरी ..	19,20,800	6,000	..	99059.00
12—ब्लाक सरोजनी नगर ..	11,74,700	6,000	..	98069.25
13—ब्लाक चिनहट ..	17,83,600	6,000	..	215425.00
14—तहसील मोहनलालगंज ..	26,52,800	5,000	98979.16	283414.97
15—परगना मोहनलालगंज	22,10,400	3,000	..	189955.55
16—परगना निगोहां ..	442,400	2,000	..	93459.42
17—ब्लाक मोहनलालगंज ..	14,97,600	3,000	..	146694.97
18—ब्लाक गोसाईगंज ..	11,55,200	2,000	..	136720.00
योग जनपद लखनऊ	1,42,37,100	84,000	1955428.36	2054713.04

पी0एस0यू0पी0—एल0 19 विधान सभा (35)—1986—813 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा